संघीय बजट 2013-14

वित्तमंत्री को सिमेज के छात्रों का सुझाव

पिछले कुछ सालों के दौरान बजट उस मकसद से बहुत दूर होता गया है जो नेहरू ने इसके लिए सोचा था. अगर आप आंकड़ों के संदर्भ में भी देखें तो इसका ज्यादातर हिस्सा तनख्वाहों, पेंशनों, सरकार पर चढ़े कर्ज और इसके ब्याज की अदायगी से बनता है. इसके चलते सरकार के लिए बाकी बचे पैसे को कुशलता से खर्च करने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है. वित्तीय घाटा पहले ही सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 फीसदी के करीब पहुंच गया है. इसमें अगर राज्यों और बैलेंसशीट से बाहर के आंकड़े जोड़ दें तो घाटे का यह आंकड़ा नौ फीसदी को छू सकता है. अगर टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया न जाये, सब्सिडियां घटाई न जायें और दूसरे खर्चों में कटौती न की जाये तो तीन साल के भीतर इसे चार फीसदी तक लाने का सरकार का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन चुनाव नजदीक हैं और इसे देखते हुए लगता नहीं कि इनमें से कुछ भी होने जा रहा है.

उदारीकरण की प्रक्रिया ने शुरुआत में लोगों में उम्मीद जगाई थी, लेकिन आज हम जिसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं उससे उनका मोहभंग हो चुका है. 2014 का आम चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है. पी चिदंबरम के बजट का मकसद एक वर्ग को संतुष्ट करना नहीं होना चाहिए. जरूरत यह भी है कि बजट लोकलुभावन फैसलों से दूर रहे और उन बुनियादी चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान दे जिनसे अर्थव्यवस्था जूझ रही है. हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि फिलहाल भारत में विदेश से जो पूंजी आ रही है उसका मकसद जल्द से जल्द मुनाफा वसूलकर निकल जाना है. हमें ऐसे निवेशकों को खुश करने की जरूरत नहीं है. हमें दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करने की जरूरत है. यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंक पाते हैं और बुनियादी ढांचे का विकास कर पाते हैं या नहीं।

सिमेज संस्थान लगातार पिछले तीन वर्षों से वैकल्पिक बजट प्रस्तुत करता आ रहा है। इस बजट के निर्माण के पूर्व संस्थान के छात्रों से रायशुमारी की जाती है एवं छात्रों के विभिन्न समूह अलग–अगल विषयों पर अपना सुझाव देते हैं। इन्हीं सुझावों को सम्मलित करते हुए हम वर्ष 2013–14 का संघीय बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे प्रस्तुत करते हुए हम पिछले दशकों में अपनायी गयी आर्थिक विकास की नीतियों में कुछ आधारभूत बदलाव का भी प्रस्ताव कर रहे हैं।

विश्व की अर्थव्यवस्था आज भारी झंझावातों का सामना कर रही है। बार–बार आ रही आर्थिक मंदियों का ज्वार हमें आर्थिक विकास की नीतियों में बदलाव लाने के लिए उत्प्रेरित कर रही है। पिछले वर्षों में हमने उदारता की जो नीति अपनायी थी उसका लाभ हमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में प्राप्त हुआ था। यह हमारे आर्थिक विकास की दर को तेजी प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक रहा। परन्तु गत् वर्ष अप्रैल से सितम्बर के बीच 11 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष निवेश वापस ले लिया गया है। यह वैश्विक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा प्रत्यक्ष प्रभाव था। पिछले एक दशक में बेरोजगारी दर वर्ष 2000 के 2.78 के मुकाबले बढ़कर 2011 में 9.8 प्रतिशत हो गयी है। आज भारत में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ के आसपास है। गरीबी–अमीरी की खाई भी बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होते गये हैं, तो गरीब और गरीब। आज भी हमारे देश के 37 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। गरीबों की संख्या तो घटी है लेकिन कुपोषण काफी बढ़ा है। वर्ष 2004–5 के आंकड़ों के अनुसार 3 साल से नीचे के 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 17 प्रतिशत है, जबकि इस क्षेत्र पर देश की 55 प्रतिशत आबादी निर्भर है। उद्योग पर मात्र 15 प्रतिशत आबादी निर्भर है, जबकि इसका योगदान 29 प्रतिशत है। वहीं सेवा क्षेत्र के 54 प्रतिशत योगदान पर 25 प्रतिशत आबादी की निर्भरता है। ऐसे में देश के संतुलित विकास के लक्ष्य की प्राप्ति लिए आर्थिक नीतियों में एवं योजनाओं के बनाने एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कुछ बदलाव की जरूरत है।

इसी पृष्ठभूमि में हम वैकल्पिक बजट के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव रखना चाहते है।

शिक्षा

सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों को जीडीपी का छह प्रतिशत तक खर्च करने की जरूरत है। अभी संयुक्त खर्च महज जीडीपी का 3.5 प्रतिशत ही किया जा रहा है। बजट में शिक्षकों को पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने के साथ बुनियादी ढांचे के अंतर को भी पाटने की जरूरत है।

- **बजट में शिक्षा व्यय को बढ़ाया जाये :** वर्तमान में सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाला कुल व्यय (केन्द्र और राज्यों को मिलाकर) जीडीपी वर्ष (2009–10) का लगभग 3.7 प्रतिशत है, जो कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 6 प्रतिशत वाले मापदण्ड से कम है, जिसकी अनुशंसा 40 वर्ष पूर्व की गई थी। अतएव केन्द्र सरकार के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा पर व्यय होने वाले देश के कुल बजट को बढ़ाया जाये और इसकी शुरूआत वर्ष 2013–14 के बजट से की जाये।

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिये पर्याप्त वित्तीय आपूर्ति** : प्रारंभिक स्तर पर यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई), 2009 अधिनियम को लागू करने के लिये पर्याप्त वित्तीय आपूर्ति हो। वर्तमान कमी को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार को वित्तीय आवंटन मे वृद्धि करनी होगी। आरटीई अधिनियम का ठोस लागूकरण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि देश में ऐसे कई विद्यालय हैं, जिनमें केवल एक शिक्षक है और विद्यार्थी–शिक्षक के मानक अनुपात (30:1) का अभाव है।

- **सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का प्रशिक्षण :** भारत सूचना तकनीक के क्षेत्र में विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में नई पीढ़ी तकनीकी रूप से दक्ष हो, इसके लिए आवश्यक है कि सभी सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए केन्द्रीय बजट में अलग से निधि का प्रावधान किया जाये। प्रशिक्षण कार्य हेतु पीपीपी मोड पर निजी प्रशिक्षण संस्थाओं को भी प्रतिस्पर्द्धी दरों पर प्रशिक्षण देने की जिम्मेवारी दी जा सकती है। ऐसे मे सरकारी खजाने पर प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण के पूँजीगत व्यय का भार भी नहीं आयेगा।

- **सर्व शिक्षा अभियान में होने वाले व्यय में बढ़ोत्तरी** : इस संदर्भ में, गुणवर्त्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिये सरकार के सर्व शिक्षा अभियान में होने वाला व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, प्रारंभिक बाल शिक्षा (3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये) को आरटीई अधिनियम के अंतर्गत लाना चाहिये और इसके लिये पर्याप्त संसाधन मुहैया कराये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक तहसील/नगरपालिका में नवोदय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- **मदरसा, आश्रम जैसे संस्थानों के बीच सामंजस्य स्थापित हो:** नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, आश्रम विद्यालय और मदरसों जैसे मौजूदा संस्थानों के बीच समरसता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। यह वे संस्थान हैं जिन्हें आरटीई के अधीन करना आवश्यक है। एक

अन्य पहलू है कि इन कार्यक्रमों का समयानुसार कार्यान्वयन हो, जैसे कि अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिये वृत्ति और छात्रवृति का वितरण।

- **प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों का नियमित मूल्यांकन** : प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों के नियमित मूल्यांकन के लिये पर्याप्त व्यय अनिवार्य है। विशेषकर, गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना भी आवश्यक है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक अन्य पहलू है स्थानीय पारिस्थितिकी और आधारभूत संरचना निर्माण के मध्य संतुलन स्थापित करना, क्योंकि इसकी आवश्यकता देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव की गई है। विद्यालयों को इको–टॉयलेट बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये, ताकि स्थानीय पर्यावरण को हानि पहुँचाये बिना आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- **सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन आदि योजनाओं की नियमित निगरानी** : गुणवत्ता से सम्बंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) की नियमित निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता** : शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की उन्नति के लिये अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।
- **आरटीई में होने वाले खर्चों का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन** : आरटीई के प्रावधानों को लागू करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार मिल कर व्यय करती हैं। ऐसे में अधिक आबादी वाले पिछड़े राज्यों जैसे बिहार में आरटीई के प्रावधानों को सही तरह से लागू करने में राज्य सरकार को अपने हिस्से का व्यय करने में संसाधनों की कमी महसूस होती है। ऐसे राज्यों में आरटीई के प्रावधानों को लागू कराने में होने वाले खर्चों का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करे।
- **वंचित वर्ग के उचित शिक्षा हेतु बजट प्रावधान में बढ़तः** समाज के वंचित लोगों को लिए सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिये निर्धारित वर्तमान बजट प्रावधान क्रमशः 1469 रु. और 709 रु. प्रति बच्चा को केन्द्रीय बजट 2013–13 में कम से कम 3000 रु. प्रति अनु. जाति/जनजाति बच्चा किया जाना चाहिये। इसी प्रकार से, प्रत्येक बालिका के लिये मौजूदा 1265 रु. प्रति बालिका के बजट प्रावधान को केन्द्रीय बजट 2012–13 में बढ़ाकर कम से कम 3000 रु. प्रति बालिका किया जाना चाहिये। मुस्लिम/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टि, श्रवण और मानसिक स्वास्थ्य, आदि से संबंधित विकलांग छात्र–छात्राओं की उचित शिक्षा हेतु बजट प्रावधान को बढ़ाना चाहिए।
- **नई शिक्षा व्यवस्था लागू करने हेतु शिक्षा आयोग का गठनः** शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक सुधार लाने हेतु एवं ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था में दक्षता के महत्व को स्थापित करने हेतु

कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। नई शिक्षा व्यवस्था लागू करने हेतु एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

- **सरकारी स्कूलों मे प्रारंभ से ही अंग्रेजी शिक्षा पर जोर** : शिक्षा का उद्देश्य समाज में समता लाना है, परन्तु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समाज में नए तरह के भेद–भाव को बढ़ावा दे रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की समूचित व्यवस्था एवं गुणवत्ता की कमी को देखते हुए अभिभावक बच्चों को नामांकन अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में कराते हैं ऐसे में समाज में नई पीढ़ी में एक बड़ा भेद आ जा रहा है। अधिकांश सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अंग्रेजी बोल पाने की असमर्थता के कारण उच्च शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में कई संभावनाओं से वंचित होना पड़ता है। आवश्यकता है कि सरकारी स्कूलों मे भी भाषा विज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक तकनीक का सहारा लेते हुए छात्रों को स्कूलों में शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी संभाषण कला का अभ्यास कराया जाए, इससे आगे चलकर उन्हें कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः अनुरोध है कि वार्षिक बजट में इस मद हेतु अलग से कोष का आवंटन किया जाए।

- **लड़कियों को स्कूली स्तर पर आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षणः** हाल के दिनों में देश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ जिस तरह पूरा देश उठ खड़ा हुआ है उसे देखते हुए महिलाओं की सूरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु कई मूलभूत कदमों को उठाने की आवश्यकता है। इसमें महत्वपूर्ण है कि लड़कियों को स्कूली स्तर पर ही आत्मरक्षा हेतु मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाये। हमारा सुझाव है कि ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था को देश के सभी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये कदम लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है एवं समाज में गैरबराबरी को कम करने वाला है।

- **कॅरियर मार्गदर्शन हेतु काउंसलिंग सेल का गठन** : ग्रामीण एवं छोटे शहरों में छात्रों को अपने कॅरियर में आगे बढ़ने हेतु स्कूली शिक्षा के बाद किन–किन तरह की संभावनाएँ हैं, कौन–कौन से क्षेत्र हैं, आदि की जानकारी का अभाव है। हमारा सुझाव हैं कि जिला स्तर पर काउंसलिंग सेल का गठन करने हेतु बजट में प्रावधान किया जाए। यह काउंसलिंग सेल छात्रों का स्किल एवं सायकोलॉजिकल असेसमेंट करते हुए उन्हें उनकी रूचि एवं बाजार की माँग के अनुसार बेहतर कॅरियर के विकल्पों एवं चयनित क्षेत्रों में सफल होने के उपयों से अवगत करायेगा। काउंसलिंग सेल की यह जिम्मेदारी होगी कि हर स्कूल में वर्ष में कम से कम एक बार छात्रों से मिल कर उनकी सहायता करेंगे एवं समय–समय पर मार्गदर्शन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में

- **उच्च शिक्षा हेतु 6 लाख रूपये तक ब्याजरहित शिक्षा ऋणः** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा 6 लाख रुपये तक के शैक्षणिक ऋण पर ब्याजरहित शिक्षा ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही समय पर ब्याज अथवा ऋण अदायगी (इएमआई) का भूगतान करने वाले छात्रों को एक प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ दिया जा सकता है। शिक्षा ऋण के क्षेत्र में बैकों को अधिक उदार रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्षेत्रीय संतुलन निभाते हुए बैंकों को पूरे देश में अपने कुल ऋण का 10 प्रतिशत शिक्षा ऋण के रूप में वितरित करना चाहिए। शिक्षा ऋण के क्षेत्र में बैंकों की उदासीनता की बड़ी वजह है एनपीए की उच्च दर। सरकार एक हजार करोड़ रुपये के शिक्षा ऋण सहायता कोष के माध्यम से ऋण के डूबने की स्थिति में बैंकों को सहायता प्रदान करेगी।
- **बिहार के प्रत्येक जिले में एक नये इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु सहायता** : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देया में आज क्षेत्रीय असंतुलन की बड़ी समस्या है। एक ओर जहां आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शिक्षण संस्थानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, वहीं बिहार एवं उत्तर–पूर्व के कुछ राज्यों में शिक्षण संस्थानों की संख्या नगन्य है। बिहार से लाखो की संख्या में छात्र प्रतिवर्ष उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु मजबूरीवश अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में तकनीकी शिक्षा के कई उत्कृष्ट संस्थानों को बिहार में खोल कर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है, कि वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर है परन्तु इन संस्थानों में जहां सैकड़ो की संख्या में छात्रों को नामांकन होगा वहीं माँग लाखो की संख्या मे है। प्रत्येक वर्ष बिहार में दस लाख से अधिक छात्र विभिन्न बोर्डो के माध्यम से 12वीं (+2) की परीक्षा पास करते हैं, परन्तु बिहार में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेजों की संख्या को उंगली पर गिना जा सकता है। जहाँ तमिलनाडु में हर एक लाख 46 हजार की आबादी पर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है , महाराष्ट्र में तीन लाख 21 हजार और आंध्र में हर 89 हजार की आबादी पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है वहीं बिहार में हर 41 लाख की आबादी पर मात्र एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। यानी की यदि बिहार महाराष्ट्र के स्तर पर पहुँचना चाहे तो उसे 312 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने होंगे, तमिलनाडु के स्तर को पाने के लिए 686 एवं आंध्रप्रदेश के स्तर तक आने के लिए 1115 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने होंगे। अतः इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के प्रत्येक जिले में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाये या इस प्रयोजन हेतु बिहार सरकार को धनराशि मुहैया करायी जाये।
- **राज्य के प्रत्येक प्रमंडल के प्रमुख शहरों में नॉलेज सिटी की स्थापना** : हमारा सुझाव है कि राज्य के प्रत्येक प्रमंडल के प्रमुख शहर के निकटवर्ती इलाके में नॉलेज सिटी की स्थापना की जाए। इनका आकार कम से कम 500–1000 एकड़ का हो। यहां पर भारत के प्रमुख शैक्षणिक समूहों को तकनीकी संस्थान खोलने हेतु आमंत्रित किया जाए। नॉलेज सिटी की अवधारणा के तहत सरकार 1000 एकड़ के इलाके में कई मूलभूत सुविधाओं का विकास

करेगी। वहाँ पर सड़क, बिजली, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एवं इंटरनेट लीज लाईन हब की व्यवस्था की जानी चाहिए। नॉलेज सिटी में कोई भी शैक्षणिक समूह अपनी जरूरत के मुताबिक 2 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की जमीन के आवंटन हेतु आवेदन कर सकेगा। साथ ही यहाँ पर कई सारे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना भी की जानी चाहिए, जैसे कि विभिन्न खेलों हेतु इंडोर एवं आउटडोर ग्राउंड/ स्टेडियम, ऑडिटोरियम, कन्वेंशन हॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टूरेन्ट, सेन्ट्रल लाईब्रेरी, मार्केट कॉम्प्लेक्स, टीचर्स क्वार्टर एवं स्टूडेन्ट्स हॉस्टल एरिया आदि। नॉलेज सिटी का संचालन करने हेतु एक प्राधिकार का गठन किया जाए, जो इन सभी शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं हेतु नॉलेज सिटी में खुलने वाले संस्थानों से शुल्क संग्रहित करेगा। निजी संस्थानों को सरकार नॉलेज सिटी में अपनी लागत मूल्य पर ही जमीन का आवंटन करे। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा और छात्रों को राज्य में ही बेहतर तकनीकी शिक्षा मिल पायेगी। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ने पर उनमें प्रतिस्पर्द्धा का दौर आयेगा, जिसका लाभ छात्रों को कम शुल्क में बेहतर शिक्षण व्यवस्था एवं बेहतर प्लेसमेंट के रूप में मिलेगा। वर्ष 2013–14 के केन्द्रीय बजट में इस तरह की परियोजनाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देन की घोषणा होनी चाहिए।

- **विभिन्न विभागों के छात्रवृति के आवेदन हेतु एकीकृत व्यवस्था** : विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं में एकरूपता लाई जाए एवं केन्द्रीयकृत ऑनलाईन छात्रवृति पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों के छात्रवृति के आवेदन हेतु एकीकृत व्यवस्था की जाये। इसके क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोड्ल एजेन्सी की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

- देश में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कल्याण योजनाओं के तहत अनुसूचित जति/जनजति वर्ग के छात्रों तथा अति पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान किया जा रहा है जो कि अत्यंत ही लाभदायक है। परन्तु प्रतिवर्ष इस योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है एवं सभी के लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारा प्रस्ताव है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वंचित वर्ग के छात्र भी रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकें इसके लिए वार्षिक बजट 2013–14 में केन्द्रीय वित्त मंत्री बजटीय आवंटन को बढ़ाते हुएं इसे दुगुना करें

- **2 लाख रुपये वार्षिक से कम की आमदनी वाले परिवार की लड़कियों को उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु पूर्ण छात्रवृत्ति** : आज भी ज्यादातर अभिभावक जहाँ अपने पुत्र को बेहतर से बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने को तत्पर रहते हैं वहीं बेटियों का नजदीक के कॉलेज से आर्ट्स अथवा विज्ञान के ट्रेडिशनल स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराते हैं। अधिकाधिक संख्या में लड़कियाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा ले सकें इसके लिए जरूरी है कि सरकार 2 लाख रुपये वार्षिक से कम की आमदनी वाले परिवार की लड़कियों को उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करें। इस योजना का लाभ जातिगत आधार के बजाए कम आय वाले सभी परिवारों की लड़कियों को मिले।

– **निर्धन, वंचित वर्ग एवं विकलांगों को सब्सिडाईज/निःशुल्क कोचिंग सुविधा** : देश में बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करते हैं। जिसके लिए वे कई बार कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग संस्थानों की महंगी फीस को दे पाना निम्न आय एवं वंचित वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए कठिन होता है। हमारा सुझाव है कि वर्ष 2013–14 के बजट में सरकार देश के प्रमुख शहरों में छात्रों को कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2 लाख वार्षिक से कम आमदनी वाले परिवारों के छात्रों को सब्सिडाईज दर पर कोचिंग प्रदान करे एवं एससी–एसटी/ ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं छात्राओं को पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाए। इन उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों को प्रत्येक जिला मुख्यालयों में खोला जाए एवं उसके संचालन का जिम्मा पीपीपी मोड में योग्य निजी संस्थानों को दिया जाए। केन्द्रीय बजट में इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समुचित प्रावधान होना चाहिए।

रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण अभियान

– **रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों के खोलने एवं संचालन हेतु बजटीय आवंटन में वृद्धि :** देश में आबादी का एक बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है। जैसे–जैसे परिवार बड़ा हो रहा है छोटी जोत वाले किसान परिवार के सभी सदस्यों का कृषि पर आश्रित रहना संभव नहीं है। ऐसे में आवश्यकता है कि कृषि कार्य में संलग्न लगभग 15 करोड़ व्यक्तियों को अन्य रोजगारोन्मुखी ट्रेडो में प्रशिक्षण देकर रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार स्थापित करने में मदद की जायें। आज भी देश में 60 प्रतिशत से अधिक छात्र अपनी पढ़ाई मैट्रिक अथवा उसके पहले ही छोड़ देते हैं। ऐसे में अशिक्षित एवं स्कूल ड्रॉप आउट युवाओं की संख्या कई करोड़ मे हैं। यदि इन्हें औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो इनके लिए अपनी आय को बढ़ा पाना एक कठीन कार्य होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2008 में देश में 2022 तक पचास करोड़ लोगों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की योजना बनाई थी। जिसके कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, श्रम मंत्रालय, अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गये हैं। साथ ही इस प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नेशनल स्किल डवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था। वित्तीय बजट 2013–14 के तहत देश में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों के खोलने एवं संचालन हेतु बजटीय आवंटन को बढ़ाना चाहिए।

– **महाविद्यालयों में निःशुल्क एड–ऑन कोर्स की शुरूआत :** 12वीं के बाद बिहार में आज भी 90 प्रतिशत से अधिक छात्र कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक कोर्स करते हैं, परन्तु कोर्स पूरा होने के पश्चात् अधिकांश छात्र जब डिग्री लेकर विश्वविद्यालय से बाहर आते हैं तो जॉब मार्केट की माँग पर खरे उतर नहीं पाते। ऐसे में जरूरी है कि छात्रों को उद्योग एवं व्यवसाय जगत की माँग के अनुसार एड–ऑन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से रोजगार हेतु तैयार किया जाए। हमारा सुझाव हैं कि महाविद्यालयों में एड–ऑन कोर्स की शुरूआत करने हेतु यूजीसी के माध्यम से राशि निर्गत करें एवं छात्रों को निःशुल्क अथवा नाम मात्र के शुल्क पर प्रशिक्षण मिल सके, ऐसा सुनिश्चित करने हेतु बजट में राशि का प्रावधान करें।

– **पीपीपी मोड पर कम्युनिटी कॉलेजों की स्थापना :** हमारी मौजूदा शिक्षण व्यवस्था ज्ञान आधारित है। यह व्यवस्था छात्रों को नॉलेजेबल तो बनाती है, लेकिन हमेशा इंप्लॉयबल नहीं बना पाती। आवश्यकता है रोजगारोन्मुखी दक्षता विकसित करने वाले ऐसे कम्युनिटी कॉलेजों की, जहाँ विभिन्न ट्रेडों में छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएं एवं रोजगार के लिए तैयार किया जाए। अमेरिका जैसे विकसित देश में कम्युनिटी कॉलेजों का प्रयोग बेहद सफल रहा है। कम्युनिटी कॉलेज, ग्रासरूट लेबल पर जॉब मार्केट एवं स्वरोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण देते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में सरकार स्वयं अथवा पीपीपी मोड पर कम्युनिटी कॉलेजों की श्रृंखला की स्थापना करे।

स्वास्थ्य

- **स्वास्थ्य सेवा के अधिकार का विधेयक**– सभी को स्वास्थ्य सेवा से लाभान्वित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का अधिकार सुनिश्चित करने वाले एक प्रभावशाली विधेयक की अत्यावश्यक मांग है। वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु जीडीपी का 1 प्रतिशत से भी कम राशि व्यय की जा रही है जो कि अन्य उभरते हुए देशों की तुलना में बहुत कम है। आवश्यकता है कि इस बजट में इसे जीडीपी के 2 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए अगले दस वर्षों में इसे जीडीपी के 5 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य बनाया जाये।
- स्वास्थ्य के लिये सार्वजनिक व्यय को जीडीपी का 2 से 3 प्रतिशत करना आने वाले भविष्य की चुनौती को देखते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल टैलेन्ट की कमी को पूरा करने में सहायक होगा।
- **स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का दर्जा देना** : स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र मे वृहत पैमाने पर आधारभूत संरचना को खड़े करने की आवश्यकता है ऐसे में निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में निवेश हेतु प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर पूँजी की लागत में कमी आयेगी और विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करना आसान होगा। स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों का आयात सस्ता होगा एवं करों में छूट मिलने का प्रावधान हो पायेगा।
- **पीपीपी मोड के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना** : देश में एक ओर जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में भौतिक आधारभूत संरचना की आवश्यकता है वहीं प्रचूर मात्रा में डॉक्टरों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आबादी के अनुसार सभी राज्यों में सरकार स्वयं अथवा पीपीपी मोड के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करे। अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खुल सके एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टरों को तैयार किया जा सके इसके लिए आवश्यक है कि मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया के नियमों में बदलाव करते हुए इसे सरल बनाया जाये। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में शिक्षा पाने का सपना महंगी फीस एवं मेडिकल कॉलेजों की सीमित संख्या की वजह से सपना बन कर ही रह गया है।
- **बिहार में इस वर्ष 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का बजट में प्रवधान** : जहाँ तमिलनाडु में हर एक लाख अस्सी हजार की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज है , महाराष्ट्र में दो लाख 35 हजार और आंध्र में हर एक लाख चालीस हजार की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज है वहीं बिहार में हर 62 लाख 74 हजार की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज है। यानी की यदि बिहार महाराष्ट्र के स्तर पर पहुँचना चाहे तो उसे 42 नए मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे, तमिलनाडु के स्तर को पाने के लिए 55 एवं आंध्रप्रदेश के स्तर तक

आने के लिए 70 मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे। अतः बिहार में इस वर्ष 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का बजट में प्रवधान होना चाहिए।

- **24 घंटे खुला रहने वाले दवाखानों एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं की व्यवस्था** : राज्य के पांच हजार से अधिक आबादी वाले सभी इलाको में एक 24 घंटे खुला रहने वाले दवाखानों की व्यवस्था की जाए जहां जीवन रक्षक जेनरिक दवाओं की उपलब्धता हो। सभी के लिये दवाएं उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक दवाओं के लिये बजट में अलग से आवंटन किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य संबंधी सभी आकस्मिक स्थितियों के लिये निःशुल्क परामर्श सेवाओं हेतु भी पर्याप्त बजट होना चाहिये।

- **सभी नागरिकों का संपूर्ण स्वास्थ्य जांच एवं कम्प्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड** : देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी एवं दूरगामी कदम उठाते हुए वित्त मंत्री को यह घोषणा करनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक का वर्ष में एक बार अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की जायेगी। ये प्रक्रिया सालों भर चलेगी और जिस प्रकार नागरिकों को वोट देने लिए पूलिंग बूथों तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रक्रिया का लाभ यह होगा कि बीमारियों का पता प्रारंभित अवस्था में ही चल जायेगा एवं ईलाज के बजाये रोकथाम के माध्यम से बीमारियों को रोका जायेगा। ईलाज हमेशा रोकथाम की अपेक्षा महंगा एवं कठिन होता है अतः सरकार इस योजना पर जो व्यय करेगी, कालान्तर में उससे अधिक बचत इस योजना से हो पायेगी एवं एक स्वास्थ्य राष्ट्र के निर्माण का सपना पूरा होगा। इस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों का मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेंन किया जायेगा एवं उस मेडिकल रिकॉर्ड डेटा को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा ताकि कभी भी कोई नागरिक अपने मेडिकल रिकार्ड को वेबसाईट के माध्यम से देख सके।

- **एयर एम्बुलेन्स की सुविधा** : गंभीर रूप से घायल अथवा विशिष्ट चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता वाले मरीजों को अस्पताल लाने में रास्ते में हुई देरी अथवा जाम के कारण कई बार बचाया नहीं जा पाता है। हमारा सुझाव है कि देश में एयर एम्बुलेन्स की सुविधा को बढ़ावा दिया जाये, इसके लिए सभी प्रमंडलों में हवाई पट्टी की व्यवस्था को दुरूस्त किया जाये ताकि एयर एम्बुलेंस का परिचालन संभव हो सकें। इस सुविधा को सस्ता बनाने हेतु एयर एम्बुलेन्स के रूप में प्रयोग करने हेतु आयातित विमानों पर आयात शुल्क माफ किया जाये एवं फ्यूल सरचार्ज एवं एयरपोर्ट ड्यूट्रिस एवं अन्य शुल्कों पर राहत दी जाये।

- **स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने हेतु कर में अतिरिक्त छूट** : स्वास्थ्य सुविधाएँ आम मध्यमवर्गीय परिवार के पहुँच में आ सके इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा दिया जाये। वर्तमान समय में एक 5 सदस्य परिवार के सभी सदस्यों का परिवार बीमा 15 हजार रूपये में करा पाना संभव नहीं है। अतः 80डी के तहत कर में छूट की सीमा को 15 हजार से बढ़ा कर 20 हजार करने की आवश्यकता है।

महिलाएँ

देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर जो जनाक्रोश उभरा है एवं महिलाओं के अधिकारों के प्रति जो जागरूकता आई है उसे देखते हुए हमारा सुझाव है की वर्ष 2013–14 का बजट एक 'जेंडर बजट' होना चाहिए। इस बजट के माध्यम से समाज में महिलाओं को और सशक्त, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होना चाहिए। बजट में बिजनेस के लिए महिलाओं को आसानी से लोन देने का प्रावधान होना चाहिए।

दूसरी ओर बलात्कार पीड़िता, घरेलू हिंसा की शिकार, परित्यक्ता एवं विधवा युवतियों के जीवन को पटरी पर लाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा एवं दक्षता विकास योजना पेश की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए टैक्स में छूट की सीमा पुरुषों की तुलना में ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए।

इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राशि को 150 करोड़ रुपये से दोगुना करके इसे 300 करोड़ रुपये तक किया जाना चाहिए। विपत्ति में पड़ी महिलाओं के लिए खास तरह के सेंटर खोलने और हेल्पलाइन पर राशि खर्च करनी चाहिए। इस तरह के सेंटर उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं को चिकित्सीय व कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए।

घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और दुष्कर्म पीड़िता की मदद के लिए देश भर में चार अंकों के बहुप्रतिक्षित वुमन हेल्पलाइन नंबर का ऐलान किया जाना चाहिए। इस नंबर पर चौबीस घंटे फोन कर शिकायत दर्ज कराया जा सकेगा। इन शिकायतों पर पुलिस प्राथमिकता से कार्रवाई करेगी। घरेलू हिंसा व यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाने की घोषणा की जानी चाहिए। देश के 100 जिलों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाया जाना चाहिए।

अस्पताल में ही काउंसलर, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और पुलिस पीड़ित की मदद के लिए तैनात किए जाने चाहिए। प्रत्येक क्राइसिस सेंटर पर दो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। जबकि जिन तहसील में घरेलू हिंसा की वारदात सर्वाधिक हो रही है वहां अलग से एक–एक सुरक्षा अधिकारी तैनात होने चाहिए।

ज्ञात हो कि चालू वित्त वर्ष के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 18,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन पहली तिमाही में आवंटित राशि का पूरा इस्तेमाल नहीं होने की वजह से कुल आवंटन में कटौती कर दी गई थी।

– **संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला हेतु पर्याप्त बजट आवंटित** : राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, महिला सशक्तिकरण के चार महत्वपूर्ण आयामों पर केन्द्रित है–कानूनी, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला हेतु पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए एवं विभिन्न कठिनाईयों का सामना करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को सर्वांगीण सेवायें यथा आश्रम गृह, हेल्प लाईन, कानूनी

सहायता, परामर्श, सभी थानों में वीमेन्स डेस्क, पुनर्वास, चिकित्सीय सहायता प्रदान करने हेतु बजट में राशि आवंटित की जाए।

- **महिलाओं के विशेष समूहों पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता/ विधवा महिलाओं की पेंशन में मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ोत्तरी** : महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केन्द्रीय बजट में महिलाओं के विशेष समूहों पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। विधवा महिलाओं की पेंशन मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाई जानी चाहिए। किसान महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिये केन्द्रीय बजट में महिलाओं के विशेष समूहों पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, अकेली महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। आपदा पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु राहत निधि और कार्यों में अलग से विशेष प्रावधान होना चाहिए।
- **पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस थाना एवं पुलिस जिप्सी का परिचालन** : सभी जिलों में महिलाओं एवं विशेषकर दलित एवं आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने एवं महिलाओं से संबंधित अपराध की निगरानी करने हेतु एक ऐसे पुलिस थाने की स्थापना करनी चाहिए जिसका संपूर्ण संचालन महिलाओं के हाथ में हो। इस तरह के पुलिस थानों में महिलाएं बिना संकोच के अपनी समस्याओं को लेकर जा सकती है। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु पूर्णतः महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित पुलिस जिप्सी का परिचालन देश के सभी प्रमुख शहरों में होना चाहिए। केन्द्र सरकार इसके लिए अलग से राज्यों को सहायता प्रदान करे।
- **विशेष महिला हेल्प लाईन एवं कॉन्सलिंग की सुविधा** : पूरे देश में एक विशेष महिला हेल्पलाईन नम्बर का संचालन कॉल सेन्टर के माध्यम से करना चाहिए, जिस कॉल सेन्टर में सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी। इस कॉल सेन्टर के माध्यम से बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, अश्लील कॉल, एसएमएस एवं ईमेल संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही इस कॉल सेन्टर के माध्यम से पीड़िता को कॉन्सलिंग की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए।

नगर एवं शहरी विकास

भारत एक दशक में शहरों का देश हो जाएगा। बजट, इस जनसांख्यिकीय सच्चाई से कट गए हैं। 2001 से 2011 के बीच नगरीय आबादी करीब 31 फीसदी की गति से बढी जो गांवों के मुकाबले तीन गुना अधिक है। मेकेंजी की ताजी रिपोर्ट बताती है कि अगले एक दशक में देश की 40 फीसदी आबादी शहरों में रहेगी और 20 फीसदी अर्धशहरी और ग्रामीण आबादी शहरों से जुड़ कर जियेगी। आज के 42 के मुकाबले 68 शहर दस लाख से ऊपर की आबादी के होंगे। यूरोप में ऐसे केवल 35 शहर हैं। पांच राज्यों की आधी आबादी शहरी होगी और भारत का करीब 70 फीसदी आर्थिक उत्पादन – 70 फीसदी नए रोजगार – आय में बढ़ोत्तरी की ज्यादातर संभावनायें और बजटों का अधिकांश राजस्व, शहरों से ही आएगा। परन्तु आज शहर संसाधनों के मोहताज हैं।

बजटों की पीढियां खंगाल लीजिये हर साल एक शिकागो के बराबर सुविधायें मांग रहे नए भारत के लिए बजट में कुछ नहीं होता। सैकड़ों स्कीमों की भीड़ में शहरों के लिए कायदे की नामलेवा स्कीमें भी नहीं होती हैं। शहरी विकास हेतु हमारा कुछ सुझाव हैः–

– **शहरी रोजगार सृजन हेतु** : भारत में शहरों में भी गरीब रहते हैं. इसलिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार के ढाई करोड़ नए अवसर पैदा करने के लिए 1,20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिए. शहरी क्षेत्र में एक रोजगार पैदा करने का खर्च आश्चर्यजनक रूप से 2,40,000 रुपये हो जाता है. इसलिए पांच करोड़ नई नौकरियों के सृजन के लिए 1,20,000 करोड़ की जरूरत होगी।

– **मध्यमवर्गीय परिवार हेतु एक लाख मे नैनो फ्लैट** : एक आम भारतीय के लिए अपने परिवार के साथ अपने खुद के मकान मे रहना सबसे बड़ा सपना होता है। बढ़ती महंगाई के कारण उसका यह सपना सच होना मुश्किल प्रतीत होता है। हमें सालाना 24,000 करोड़ की अगले पांच सालों तक जरूरत होगी ताकि कम से कम 250 वर्ग फीट के 1.5 करोड़ घर बनाए जा सकें। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची या बंगलोर किसी भी शहर में आवासीय फ्लैट की कीमत 30 लाख से लेकर एक करोड़ तक है। निम्न–मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इंदिरा आवासीय योजना की तर्ज पर सरकार के पास कोई आवासीय योजना नही है। ऐसे में केन्द्र सरकार को पूरे देश में 200 स्कायर फीट से लेकर 800 स्कायर फीट तक के ऐसे नैनो फ्लैट उपलब्ध कराने चाहिए जिनकी कीमत एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

– **शहरी क्षेत्रों में झुग्गी –झोपड़ियों में रहने वालों को उसी जगह पर बहुमंजिले इमारतों में बेहतर रिहायशी सुविधा प्रदान हो** : शहरी क्षेत्रों के झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले गरीब नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी आवास योजना की घोषणा होनी चाहिए। इस योजना में पीपीपी मोड के तहत झुग्गी –झोपड़ियों में रहने वालों को उसी जगह पर बहुमंजिले इमारतों में बेहतर रिहायशी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से एक ओर जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालो को स्थायी रूप से बेहतर अवासीय

सुविधायें मिल पायेंगी वहीं शहरी क्षेत्र में नागरिकों के रिहायईश हेतु बहुमंजिली रिहायशी अपार्टमेंटों के द्वारा मध्यम वर्गों को भी उचित दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराये जा सकेंगे। इस पूरी परियोजना में सरकार के कोई विशेष खर्च नहीं करना होगा। क्योंकि झुग्गी में रहने वाले को पुनर्वासित करने के बाद बची जमीन पर बनने वाले रिहायशी कॉलोनियों एवं व्यवसायिक भवनों को बेचने अथवा लंबी अवधि के लीज पर देने से हुई आमदनी से इस परियोजना का खर्च पूरा किया जा सकता है।

– **वीआईपी इलाकों में बहुमंजिली रिहायशी भवनों का निर्माण** : देश के सभी राज्यों की राजधानियों में आबादी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जिसे सुविधाजनक रूप से शहर में रिहायशी सुविधायें दे पाना मुश्किल हो रहा है। शहरी क्षेत्र में रिहायशी प्रोजेक्टों हेतु कमी महसुस की जाती है जिसकी वजह से अपार्टमेंटों में फ्लैट की कीमत बहुत अधिक हो चुकी है। सभी राज्यों की राजधानियों में काफी बड़ा वीआईपी इलाका विधायकों, मंत्रियों एवं अफसरों के बंगलों एवं क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। इन इलाको में जमीन की तुलना मे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। हमारा सुझाव है कि यदि विधायकों एवं अफसरो की रिहाईश हेतु यदि बहुमंजिली ईमारतों का निर्माण किया जाये तो ऐसे मे शहर के बीचो–बीच बहुत बड़ा भाग आम मध्यमवर्गीय परिवारों के रिहाईश हेतु विकसित किया जा सकता है। इस परियोजना हेतु वित्तीय बजट 2013–14 में प्रावधान होना चाहिए।

– **सेटेलाईट टाऊनशिप का विकास** : वर्तमान में देश में 42 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। ऐसे शहरो में बढ़ती आबादी की माँग एवं बोझ को देखते हुए शहरों के नजदीक सेटेलाईट टाऊनशिप डवलप करना चाहिए। आवश्यकता है कि शहरो के नजदीक सेटेलाईट टाऊनशिप हेतु नए इलाके चिन्हित किए जायें एवं इन इलाको में मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाए अन्यथा बेतरतीब शहरीकरण की स्थिति में ये इलाके बेहतर रिहाईश विकल्प के रूप में नहीं उभर पाएंगे। केन्द्र सरकार को नवीन शहरीकरण योजना के तहत आदर्श सेटेलाईट टाऊनशिप के विकास हेतु बजट मे प्रावधान करना चाहिए।

– **शहरी सुविधाओं के विकास हेतु** : देश के टीयर–2 एवं टीयर–3 शहरो एवं जिला मुख्यालयों में आधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीपरपस कन्वेंशन सेन्टर, पब्लिक ऑडिटोरियम, एक्जीबिशन सेन्टर, मल्टीस्टोरेज पार्किंग टावर्स एवं थियेटर हेतु उपयुक्त रंगमंच का निर्माण अथवा पहले से निर्मित टाउन हॉलों के आधुनिकीकरण का कार्य अत्यंत आवश्यक है। साथ ही इन शहरो में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम का निर्माण किया जाये। ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन केवल बड़े महानगरो में ही न हो बल्कि उभरते हुए शहरो में भी हो सके।

सब्सिडी

केन्द्र सरकार की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति में सुधार के उपाय सुझाने के लिए पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने यू.पी.ए सरकार को सुझाव दिया है कि वह डीजल की कीमतों में वृद्धि करे और इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक उसपर दी जानेवाली सब्सिडी में 50 फीसदी और अगले वित्तीय वर्ष (2013–14) में उसे पूरी तरह समाप्त कर दे। यही नहीं, केलकर समिति ने यूरिया की कीमतों में तुरंत 10 फीसदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) से वितरित होनेवाले खाद्यान्नों की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी की भी सिफारिश की है।

केलकर समिति के मुताबिक, इन सिफारिशों का मकसद सरकार के बढ़ते सब्सिडी बोझ को कम करना है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और खाद्यान्नों पर दी जानेवाली सब्सिडी के कारण केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता हुआ खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है।

समिति का आकलन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक गंभीर राजकोषीय संकट के कगार पर खड़ी है और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति को संभालने के लिए तुरंत कड़े कदम नहीं उठाये गए तो अर्थव्यवस्था के 1991 जैसे संकट में फंसने की आशंका है। इससे पहले प्रधानमंत्री चेतावनी दे चुके हैं कि बिगड़ती राजकोषीय स्थिति को संभालने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि– पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं।

हालाँकि केलकर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी करते हुए केन्द्रीय वित्त सचिव ने इसकी कुछ सिफारिशों को यू.पी.ए सरकार की समावेशी विकास की नीति के विपरीत बताते असहमति जाहिर की है। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के हालिया फैसलों और घोषणाओं से यह साफ है कि वह वैचारिक तौर पर न सिर्फ इस रिपोर्ट की बुनियादी समझ और सिफारिशों से सहमत है बल्कि उसे लागू करने के लिए बेचौन भी है।

इसका सबूत यह है कि केलकर समिति ने 3 सितम्बर को सौंपी अपनी रिपोर्ट में डीजल में प्रति लीटर 4 रूपये और वह भी चरणों में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने उससे एक कदम आगे बढ़कर एक झटके में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी कर दी। यही नहीं, रसोई गैस के अतिरिक्त सिलेंडरों की कीमत भी मौजूदा कीमतों के दुगुने से भी ज्यादा 922 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी है।

इस ताजा वृद्धि से सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र की चार बड़ी कंपनियों में विनिवेश से 15 हजार करोड़ रुपये उगाहने का इंतजाम कर लिया है।

इसके तहत केलकर समिति द्वारा सुझाये रोडमैप के मुताबिक एक ओर पेट्रोलियम उत्पादों, राशन के अनाज और उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के जरिये सब्सिडी बजट में कोई ४० हजार करोड़ रुपये बचाने और दूसरी ओर, सरकारी कंपनियों के शेयरों की बिक्री से 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटाने और विकास के मद में होनेवाले खर्चों यानी योजना बजट में कटौती से कोई 20 हजार करोड़ रुपये बचाने की योजना पर पूरी सक्रियता से काम कर रही है.

लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि पहले से आसमान छूती महंगाई और पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था, ढहते औद्योगिक उत्पादन और गिरते निर्यात के कारण छंटनी, तालाबंदी और वेतन–मजदूरी कटौती की मार से त्रस्त आमलोगों खासकर गरीबों, किसानों आदि पर यू.पी.ए सरकार सीधे या परोक्ष रुप से बोझ डालने जा रही है। मजे की बात यह है कि खुद केलकर समिति ने भी स्वीकार किया है कि इन फैसलों से तात्कालिक और मध्यावधि तौर पर आमलोगों की आय और उनके उपभोग पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अल्पावधि में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन समिति का तर्क है कि अगर आमलोग यह तात्कालिक कष्ट और परेशानी उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो बिगड़ती राजकोषीय स्थिति बदतर स्थिति में पहुँच जाएगी और उस स्थिति में आमलोगों को और भी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी।

कहने की जरूरत नहीं है कि यू.पी.ए सरकार भी इस तर्क से सहमत है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 'राष्ट्र के नाम सन्देश' में साफ कहा था कि बदतर राजकोषीय घाटे और बढ़ते कर्जों के कारण यूरोपीय देशों को वेतन और पेंशन तक में कटौती करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, भारत में यह स्थिति न आए, इसके लिए आसान रास्तों को छोड़कर कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है।

लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या देश सचमुच 1991 की तरह के राजकोषीय संकट में फंसने के कगार पर है या सिर्फ संकट का हौव्वा खड़ा करके आमलोगों पर और अधिक बोझ लादने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट खासकर यूरोपीय देशों के आर्थिक–वित्तीय संकट और उससे निपटने के नामपर मितव्ययिता उपायों के तहत आमलोगों पर अधिक से अधिक बोझ लादने के तरीकों को लेकर खुद उन देशों और पूरी दुनिया में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है।

दोहराने की जरूरत नहीं है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के नामपर हो रही कटौतियों के कारण आमलोगों की तकलीफ और परेशानियां इस हद तक बढ़ गईं हैं कि ग्रीस से लेकर स्पेन तक लाखों लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आर्थिक संकट गंभीर राजनीतिक संकट में बदलता जा रहा है। इस कारण इन मितव्ययिता उपायों की निरर्थकता पर तीखे सवाल उठने लगे हैं।

अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं में बहस का मुद्दा यह है कि अर्थव्यवस्था के संकट में होने के कारण राजकोषीय घाटे की स्थिति बिगड़ रही है या राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई है? नव उदारवादी आर्थिक सैद्धांतिकी में आस्था रखनेवाले नीति निर्माताओं के मुताबिक, राजकोषीय घाटे और बढ़ते कर्ज के कारण अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है और इससे निपटने के लिए घाटे को कम करना जरूरी हो गया है।

इसके लिए सरकारी खर्चों यानी सब्सिडी में कटौती जरूरी है, चाहे वह कितनी भी तकलीफदेह हो। अधिकांश यूरोपीय देशों की सरकारों से लेकर अपने प्रधानमंत्री तक और विश्व बैंक–मुद्रा कोष से लेकर बड़ी रेटिंग एजेंसियों तक सभी इसी राय के हैं।

लेकिन दूसरी ओर कई कीन्सवादी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस संकट से निपटने के लिए खर्चों में कटौती और आमलोगों पर बोझ डालने के बजाय सरकारों को खर्चों, खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि पर बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और घाटा कम हो पायेगा।

भारत भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ भी आर्थिक संकट खासकर बढ़ते राजकोषीय घाटे का हौव्वा खड़ा किया जा रहा है। लेकिन यह संकट वास्तव में कितना गंभीर है?

चालू वित्तीय वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा जी.डी.पी का 5.1 फीसदी रहने का अनुमान पेश किया गया था और केलकर समिति के मुताबिक, अगर कड़े कदम नहीं उठाये गए तो यह एक फीसदी बढ़कर जी.डी.पी का 6.1 फीसदी हो जाएगा। लेकिन अगर लोगों पर 60 हजार करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया जाए तो यह घाटा जी.डी.पी का 5.2 फीसदी रहेगा।

इसका मतलब यह है कि इस आसमान छूती महंगाई के बीच आमलोगों की तकलीफ बढ़ाने के बावजूद घाटे में कोई खास कमी नहीं होने जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इसका सारा बोझ आमलोगों खासकर गरीबों और किसानों पर क्यों डाला जा रहा है? क्या सरकार के पास इस कथित संकट से निपटने का कोई और विकल्प नहीं है?

असल में, सरकार के पास विकल्प राजकोषीय घाटे को कम करने के ज्यादा आसान विकल्प हैं लेकिन वह बड़ी पूंजी और अमीरों को नाराज नहीं करना चाहती है। केलकर समिति के मुताबिक, बढ़ते राजकोषीय घाटे की एक वजह भारत में टैक्स–जी.डी.पी का घटता अनुपात भी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007–8 में केन्द्र सरकार के टैक्स–जी.डी.पी का अनुपात 11.9 फीसदी था जो घटते हुए वर्ष 2011–12 में 10.1 फीसदी रह गया।

इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सरकार सिर्फ टैक्स–जी.डी.पी के अनुपात को 2007–8 के स्तर पर ले आए तो आमलोगों पर बोझ डाले बिना भी राजकोषीय घाटा जी.डी.पी के 4.5 फीसदी रह जाएगा। लेकिन इसके लिए आम आदमी की सरकार का दावा करनेवाली यू.पी.ए सरकार को विदेशी आवारा पूंजी, कार्पोरेट्स और अमीरों को हर साल टैक्स में दी जानेवाली छूटों/रियायतों में सिर्फ 50 फीसदी से भी कम की कटौती करनी पड़ेगी।

याद रहे कि सरकार ने वर्ष 2011–12 में कार्पोरेट्स और अमीरों को टैक्स में कोई 5.11 लाख करोड़ रुपयों की छूट दी थी। क्या बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण 1991 के जैसे संकट के मुहाने पर खड़ी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ कुर्बानी बड़ी पूंजी को भी नहीं करना चाहिए? क्या यू. पी.ए सरकार इस कड़े फैसले के लिए तैयार है?

इस वैकल्पिक बजट के माध्यम से देश की सरकार को हमारा यह सुझाव है कि आम जनता एवं किसानों को फर्टीलाईजर, डीजल, घरेलू कुकिंग गैस, केरोसिन ऑयल आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखना चाहिए। सरकार द्वारा प्रतिमाह 50 पैसे की दर से अगले 20 माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। हमारा सुझाव है कि महंगाई से त्रस्त आम जनता के हीत में

डीजल के मूल्य मे हो रही इस बढ़ोत्तरी को एकबार रोक देना चाहिए। साथ ही ये प्रबंध करना चाहिए कि सब्सिडाईज्ड डीजल का बेजा इस्तेमाल बड़े कल–कारखानों, शॉपिंग मॉलों एवं महंगी डीजल गाड़ियो में न हो।

– **सब्सिडाइज्ड सिलेंडरों की संख्या एक वर्ष में 12 हो :** एलपीजी गैस पर पर एक आम मध्यमवर्गीय परिवार के लिए घरेलु कुकिंग गैस का सब्सिडाईज्ड दरों पर उपलब्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है। जनता एलपीजी की राशनिंग के बेतुके फैसले पर गुस्सा है क्योंकि कोई सरकार 14 करोड़ उपभोक्ताओं से इस कदर नावाकिफ कैसे हो सकती है कि उसे यह भी पता न हो कि नगरीय, उपनगरीय परिवारों के पास खाना पकाने का दूसरा ईंधन उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में यदि सरकार उपभोक्ताओं को राहत देते हुए साल में कम से कम 12 सिलेन्डर सब्सिडाईज्ड दरों पर उपलब्ध कराये तो यह निर्णय केन्द्र सरकार की घटती लोकप्रियता पर लगाम लगाने मे सहायक होगा।

ऊर्जा

भारत के की बढ़ती अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए देश में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। परन्तु देश को ऊर्जा के संसाधनो की सीमित होने के कारण आयात पर निर्भर होना पड़ता है। पिछले एक साल मे देश का तेल आयात करीब 46 फीसदी बढ़ा है और कोयले का 80 फीसदी बढ़ा है। देश के कुल आयात का यह सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत में 90 फीसदी बिजली कोयले से बनती है। जिसकी आपूर्ति की जिम्मेवारी मुख्य रूप से कोल इंडिया के ऊपर है। लेकिन पिछले दो साल में जब बिजली की मांग बढ़ी तो कोयले का उत्पादन घट गया। ऐसा नहीं है कि देश में कोयला कम है। 246 अरब टन का अनुमानित भंडार है, जिसमे 92 अरब टन हाथ मे है। लेकिन कोल इंडिया का निजीकरण एवं नई खदानो की खोज लंबित है। निजी कंपनियों को खदानो का मनमाना आवंटन किया गया। कोयला उत्पादन बमुश्किल 5 फीसदी की गति से बढ़ रहा है जबकि बिजली सयंत्रो की उत्पादन क्षमता करीब 10 से 55 फीसदी की सलाना गति से बढ़ रही है। पिछले साल फरवरी में देश के 18 बिजली घरो में केवल 4 दिन का कोयला बचा था। और 5 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन ठप होने की नौबत आ गई थी। एक तो उत्पादन कम, इसके बाद कोल इंडिया की तानाशाही और कोयला ढोने वाली रेलवे का चरमराता नेटवर्क। बिजली कंपनी कोयला आयात न करे तो क्या करे। इसलिए कोयला भारत का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। अगले 5 साल में कोयले की कमी 40 करोड़ टन होगी। यानि और ज्यादा आयात होगा।

पेट्रो उत्पादों के क्षेत्र मे भी हालात अच्छे नहीं है। भारत अपनी 80 फीसदी से ज्यादा पेट्रो मांग के लिए आयात पर निर्भर है। देश में घरेलू कच्चा तेल उत्पादन पिछले 2 साल मे एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा। तेल खोज के लिए निजी कंपनियों को बुलाने को कोशिश भी शुरूआती सफलताओं के बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और नाकाम हुई ।

पेट्रोलियम उत्पादों का बढ़ता आयात बिल देश की सबसे विकट समस्या है, और यह तब है जब भारत मे प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दुनिया में सबसे कम है। चीन की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भारत से तीन गुनी यानि 1620 किलो ग्राम तेल के बराबर है। भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत केवल 566 किलो वाट प्रति घंटा है जो अफ्रीका से भी कम है। 57 प्रतिशत ग्रामीण एवं 12 प्रतिशत आबादी के पास बिजली नही है। वहीं बिहार जैसे राज्य में पटना शहर के अलावा अधिकांश शहरी एवं ग्रामीण इलाको में बिजली की भारी समस्या है। 12363 मेगा वाट की बिजली किल्लत वाले देश में नीति निर्माताओं को यह समझना होगास कि डीजल की मांग यानि की पेट्रो सब्सिडी के बोझ के खलनायक कार या ट्रक नहीं बल्कि डीजल–जेनरेटर हैं, जो सालाना करीब 25 से 35 हजार मेगा वाट बिजली बनाते हैं। 8 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ के लिए बिजली, नेचुरल गैस और कोयला उत्पादन में सालाना 6 से 7.5 प्रतिशत की वृद्धि चाहिए। जिसकी नामौजूदगी मे सब्सिडी वाला डीजल पचा कर बिजली की खुराक पूरी हो रही हैं। ऊर्जा नीति भारत की भव्य विफलता है। यह दुर्योग ही है कि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन

सिंह सुधारों की शुरूआत से लेकर आज तक इस मोर्चे पर लगातार हारे। एनरॉन जैसे असफल प्रयोग, दो दशक से लंबित बिजली सुधार, नाभिकीय ऊर्जा की ताजा कोशिशों में असफलता व गैस ब्लॉक आवंटन नीतियों की गफलत, पूरी ऊर्जा परिदृश्य मानो गलतियों का अजायबघर है। इस वैकल्पिक बजट के माध्यम से हम वित्तमंत्री को ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव देना चाहते हैंः–

1. देश में कोयले की मांग की एक चौथाई आपूर्त्ति आयात के द्वारा होती है। जिसके कारण विदेशी मुद्राभंडार घटता है और डॉलर का मूल्य बढ़ता है। यह आयात तब हो रहा है जब देश में कोयले का 246 अरब टन का घरेलू स्टॉक है। हमारा सुझाव है कि सरकार को कोयले के उत्खनन को बढ़ाने हेतु बजट में अधिक धन राशि का प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि आयातित कोयला कोल इंडिया द्वारा बेचे जाने वाले कोयले के मुकाबले 5 गुना अधिक महंगा है। जिसके कारण देश में महंगाई बढ़ती है। नगदी के मामले में कोल इंडिया देश की सबसे अमीर कंपनी है, जिसके पास 55 हजार करोड़ रुपये का कैश रिजर्व है। इस धनराशि का प्रयोग कोयले के उत्खनन एवं आपूर्त्ति को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। पिछले वर्ष कोल इंडिया ने मात्र 36 करोड़ टन कोयला निकाला था, जिसे बढ़ा कर इस वर्ष 60 करोड़ टन करने की आवश्यकता है।

2. देश में 42 हजार मेगावाट की तैयार परियोजनायें कोयले की कमी के कारण उत्पादन शुरू नहीं कर पाती। कोयला उत्पादन की राह में पर्यावरण मंत्रालय के साथ समन्वय न हो पाने के कारण भी कई खदाने बंद हो गईं और छह करोड़ टन कोयला उत्पादन की उम्मीद दफन हो गयी। अब अगर कोयला आयात हो तो रुपया भुगतेगा और बिजली न बने तो जनता।

3. कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कोल इंडिया के एकाधिकार को खतम करना चाहिए और कैग द्वारा उजागर कोल ब्लॉक आवंटन की अनियमितताओं से सबक सीखते हुए कोल ब्लॉक का आवंटन निःशुल्क न करते हुए नीलामी के आधार पर करना चाहिए। साथ ही अबतब जितनी कंपनियों ने तय समय सीमा के अंदर उत्पादन शुरू नहीं किया है उन सभी के आवंटन रद्द करने चाहिए एवं बिजली क्षेत्र की कंपनियों को कोल ब्लॉक के आवंटन में प्राथमिकता देनी चाहिए।

4. इस सबके बावजूद कोई कंपनी विदेश से कोयला ला कर बिजली बनाना चाहे तो उसे निरंतर घाटे के लिए तैयार रहना होगा। क्यों कि बिजली की कीमतें सियासतपरस्त हैं। प्रत्येक बिजली कंपनी 80 पैसे से 2 रुपये प्रति यूनिट का नुकसान उठा रही हैं। बिजली कंपनी की बिगड़ती माली हालत को देखते हुए बजट में विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है।

5. ग्यारहवीं योजना में 78 हजार 700 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता जुड़नी थी मगर केवल 46000 मेगावाट की क्षमता ही तैयार हो सकी। अब जिसे जरूरत होगी वह सब्सिडाईज्ड डीजल से जेनरेटर चला रहा है। चमचमाते भारत के शॉपिंग मॉलों और कारखानों में बिजली की किल्लत को डीजल जेनरेटर से पूरा किया जा रहा है। दरअसल भारत में पेट्रोलियम

उत्पादों की मांग मे कमी और बिजली की आपूर्ति में बढ़ोतरी की जरूरत है। अतः डीजल की खपत को कम करने के लिए डीजल जेनरेटरों एवं डीजल कारों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए।

6. ऊर्जा का महंगा होना महंगाई की एक बड़ी वजह है। अब जबकि सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल एवं डीजल की सब्सिडी को समाप्त करने का फैसला लिया है तब देश की जनता को राहत देने के लिए यह जरूरी है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को समाप्त किया जाये। साथ ही राज्य सरकारो द्वारा तेल पर लगने वाली वैट की दरों में 75 प्रतिशत की कमी करनी चाहिए।

7. देश में तेल एवं गैस के कुओं की खोज हेतु अधिक धन राशि का आवंटन करना चाहिए। भारत की समुद्री सीमा में तेल एवं गैस के बड़े स्रोतों के होने की जानकारी पुष्ट हुई है। केजी बेसिन एवं अन्य गैस के स्रोतों को यदि विकसित किया जाये तो यह देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने में सहायत सिद्ध होगा। एंव बिजली उत्पादन के क्षेत्र में लागत को कम करेगा।

– **पनबिजली परियोजनाओं पर जोर** : भारत में पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से सस्ती बिजली के उत्पादन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परन्तु इन परियोजनाओं को स्थापित करते वक्त यह भी ध्यान में रखना होगा कि पर्यावरण पर इनका कम से कम नाकारात्मक असर पड़े। भारत चाहे तो निकटवर्ती देश नेपाल एवं भूटान में कई छोटी–बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना कर सकती है, जहाँ से उत्पादित बिजली का उपयोग दोनो देशो में किया जायेगा।

– **ऊर्जा के नए स्रोतों को बढ़ावा** : देश में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेट्रोलियम उत्पादों एवं कोयले पर निर्भरता को कम करने हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक माध्यमों के विकास पर जोर देना चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए इसके लिए सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं संचय के तकनीक को सस्ता करने की आवश्यकता है। अतः बजट में इन वस्तुओं पर से एक्साईज एवं कस्टम ड्यूटी समाप्त कर देनी चाहिए। देश में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ इथनॉल को मिश्रित करने की तकनीक को विकसित करने की आवश्यकता है एवं ऑटोमोबाईल एवं पेट्रोलियम कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश करने पर प्रोत्साहन देने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए। साथ ही देश में सुगरकेन मोलासेस, धान के भूँसे एवं विंड मिल तकनीक पर आधारित बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए।

न्यायिक सुधार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण

– इस वैकल्पिक बजट के माध्यम से हम एक और ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जिसका सीधा संबंध हर आम नागरिक से है, वह है भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार का एक और एकमात्र समाधान है सक्षम न्याय व्यवस्था. भ्रष्टाचार और लालच दुनियाभर में है, फिर भी अमेरिका में भारत के मुकाबले इससे बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं. ऐसा सिर्फ इसलिए संभव होता है क्योंकि अमेरिकी न्यायिक तंत्र समर्थ और व्यवहारिक है, जबकि भारत का न्याय तंत्र सुस्त। अमेरिका में प्रति दस लाख की आबादी पर भारत के मुकाबले दस गुना अधिक जज हैं.

  अगर हमें अपने न्याय तंत्र को भी अमेरिका के स्तर पर ले जाना है, तो हमें और एक लाख जजों की जरूरत होगी. यह सुनने में बहुत अधिक लगता है, लेकिन पांच साल में इस लक्ष्य को हासिल करना संभव है. हर साल 20,000 जजों की अतिरिक्तव्यवस्था के लिए सालाना 6,000 करोड़ की जरूरत होगी, बशर्ते कि एक जज और उसके कार्यालय सहायकों का कुल सालाना खर्च 30 लाख से अधिक न हो.

– देश में अबतक भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं। कई बार भ्रष्टाचारियों के घरो पर छापे पड़े हैं। परन्तु आजतक ऐसी खबर सुनने को कम ही मिली है की भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त कर उसका प्रयोग राष्ट्रहीत मे किया गया हो। बिहार में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त कर वहाँ स्कूल खोलने के इक्का–दुक्का मामले प्रकाश मे आये हैं। सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने हेतु इनकम टैक्स अफसरों की ही तरह विजिलेन्स एवं एन्टी करप्शन स्कॉर्ड को प्रतिवर्ष भ्रष्टाचारियों की सम्पत्ति जब्त करने का लक्ष्य देना चाहिए। यदि इस दिशा मे कड़े कदम उठाये जायें तो न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि सरकार को प्रति वर्ष 50 हजार करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ रुपये तक की रकम भी वसुलने का मौका मिलेगा।

– भ्रष्टाचार का मुकाबला करने हेतु लोकपाल की मांग कई वर्षों से लंबित है। हम वित्त मंत्री आग्रह करते हैं कि वे वित्त वर्ष 2013–14 के बजट में देश में एक सशक्त एवं स्वतंत्र लोकपाल एवं राज्यों में लाकायुक्तों की संस्था की स्थापना हेतु 10 हजार करोड़ की राशि का अलग से प्रावधान करें।

रोजगार सृजन

नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन करना हमारी प्राथमिकता है। भारत के प्रत्येक ब्लॉक में एक विकास प्रबन्धन पदाधिकारी के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इस पद हेतु प्रबंधन डिग्री धारक अर्थात एमबीए या पीजीडीएम के छात्र आवेदन दे सकते हैं। उनका कार्य ब्लॉक में चलने वाली केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन देखना होगा। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में एक विकास तकनीकी पदाधिकारी पद का भी सृजन किया जाना चाहिए। इस पद हेतु अभियंत्रण स्नातक आवेदन दे सकते है। प्रत्येक एमबीए छात्र को बीस हजार एवं इंजीनियर छात्र को पंद्रह हजार का वेतनमान दिया जा सकता है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर पूरे भारत को सूचना तकनीक के जाल से जोड़ने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में इ–चौपाल की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके संचालन हेतु ढाई लाख कम्प्यूटर स्नातकों की बहाली की जायेगी। इस तरह कुल दस लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकेगा।

क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उपाय

प्रतिव्यक्ति आय, प्रतिव्यक्ति उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिचाई, रोजगार, उद्योग आदि मानकों पर राष्ट्रीय औसत से नीचे रहने वाले राज्यों को विशेष मदद प्रदान की जानी चाहिए। बिहार राज्य लगातार बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित रहा है। आजादी के बाद से बिहार में उक्त मामलों में लगातार लगातार गिरावट दर्ज की गई है। जबतक बिहार जैसे राज्य देश के अन्य विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तबतक देश समग्रता में आगे नहीं बढ़ सकेगा। अतः बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए।

बिहार के साथ पिछले कई दशकों से इंसाफ नहीं हो रहा। आजादी के बाद भी कई वर्षों तक बिहार आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से समृद्ध था। क्या नहीं था बिहार में। देश का 80 प्रतिशत खनिज एवं कोयले का भंडार, सोना उगलती धरती, वैभवशाली अतीत एवं समृद्ध सांस्कृतिक परम्परायें। परन्तु बिहार, केन्द्र सरकार की विषमतामूलक नीतियों का शिकार हो गया। बिहार के बर्बादी की कहानी मे मुख्य भूमिका निभाई भाड़ा समानीकरण की नीति, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, केन्द्रीय निवेश की कमी, जातिवादी राजनीति के जहर ने और रही सही कसर पूरी कर दी बिहार के बंटवारे ने। बंटवारे के बाद संयुक्त बिहार के अधिकांश बड़े कल कारखाने, लोहा, कोयला एवं अन्य खनिजो की खाने सब झारखंड के हिस्से गई और तीन चौथाई आबादी बिहार के हिस्से आई। उस वक्त बिहार को एक विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की बात हुई थी, परन्तु आजतक बिहार को यह पैकेज नहीं मिला। सिमेज कॉलेज के हम सभी छात्र वित्तमंत्री से पुरजोर मांग करते हैं कि बिहार के विकास हेतु कम से कम एक लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान किया जाये।

इंफ्रास्ट्रक्चर

अब आधारभूत ढांचे की बात. यह क्षेत्र भी भयानक संकट का सामना कर रहा है. सड़क, बिजली, पानी का बुरा हाल है. बुनियादी ढांचे के लिए पांच साल में देश को 51 लाख 47 हजार करोड़ रुपये चाहिए। निजी क्षेत्र निवेश करे, इसके लिए प्रोत्साहन उपायों की कमी है. काम नौकरशाही की जटिलताओं के जाल में फंसे हैं. कई बार पैसा आता है और बिना इस्तेमाल हुए ही वापस चला जाता है. चाहे वह सड़क बनाने वाला लोकनिर्माण विभाग हो या अलग–अलग राज्यों के बिजली और जल बोर्ड, सभी प्रक्रियाओं की जटिलता में फंसे हैं. ये सभी संस्थाएं बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन इनका अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है. बात सिर्फ सड़क, बिजली और पानी की नहीं है. स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे उन क्षेत्रों पर भी यह बात उतनी ही शिद्दत से लागू होती है जिन्हें किसी देश का भविष्य बदलने वाली शक्तियों के तौर पर देखा जाता है. अगर भारत को अपनी एक बड़ी नौजवान आबादी का फायदा उठाना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा को सुधारे बिना बात नहीं बनने वाली.

कर राजस्व

इस वैकल्पिक बजट के माध्यम से छात्रों ने कई सारी नई योजनाओं को शुरू करने एवं प्राथमिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की मांग रखी है, परन्तु प्रश्न यह भी उठता है कि जब वर्ष दर वर्ष देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा हो तब सरकार कल्याणकारी योजनाओं हेतु अपने योजनागत व्यय में किस प्रकार वृद्धि कर पायेगी? जरूरत इस बात की भी है कि सरकार की आय में भी वृद्धि हो। अतः सबसे महत्वपूर्ण है कि कर नीति को तर्कसंगत बनाते हुए सरकार के संसाधनों में वृद्धि की जाये एवं आम नागरिकों को राहत प्रदान की जाये। इस सबंध में हमारे सुझाव इस प्रकार हैं:–

- **कर निर्धारण से संबंधित केन्द्र सरकार की नीति को अधिक प्रगतिशील बनाने की आवश्यकता** : भारत की कर प्रणाली जिसमें लगभग 2 तिहाई राजस्व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त किया जाता है और एक तिहाई राजस्व प्रत्यक्ष करो से आता है, कई अन्य देशों की कर प्रणाली के विपरीत है। इसलिए कर निर्धारण से संबंधित केन्द्र सरकार की नीति को अधिक प्रगतिशील बनाने की आवश्यकता है, जिसमे राजस्व का अधिकांश अंश प्रत्यक्ष करों से प्राप्त किया जाये।
- **एफडीआई, कार्पोरेट्स और अमीरों को टैक्स में दी जाने वाली छूटों में 50 फीसदी से भी कम की कटौती** : केन्द्र और राज्यों द्वारा एकत्र कुल कर राजस्व वर्ष 2007–08 में जीडीपी के 17.4 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2010–11 में जीडीपी का 14.7 प्रतिशत हो गया जो 2011–12 में और घट कर जीडीपी के 11 प्रतिशत के नजदीक आ गया। सरकार ने वर्ष 2011–12 में टैक्स में कॉर्पोरेट्स और अमीरों को 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी थी। यदि सरकार सिर्फ टैक्स जीडीपी अनुपात को 2007–8 के स्तर पर ले आये तो आम लोगों पर बोझ डाले बिना भी राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4 फीसदी रह जायेगा। जिसका इस वर्ष जीडीपी के 6 प्रतिशत के खतरनाक स्तर तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन इसके लिए आम आदमी का दावा करने वाली यूपीए सरकार को एफडीआई, कार्पोरेट्स और अमीरों को हर साल

टैक्स में दी जाने वाली छूटों में 50 फीसदी से भी कम की कटौती करनी होगी। केन्द्र सरकार को कर प्रणाली में समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि इनमें से कई कर कटौतियाँ, जो निजी कार्पोरेट क्षेत्रों से संबद्ध है, और जो मुख्य रूप से धनाढ्य एवं समृद्ध वर्ग को लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें हटाया जा सकता है एवं राजस्व हानि के परिमाण को कम किया जा सकता है।

- **कर बकाये की राशि की शीघ्रता से वसुली** : कर बचाने के ज्ञात मामलों में बकाया राशि की शीघ्रता से वसुली करने की आवश्यकता है। वर्तमान में यह राशि तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक है। यह राशि शीघ्रातिशीघ्र अर्थदण्ड एवं ब्याज के साथ सीमित समय सीमा के भीतर वसूलने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। फरवरी 2011 में वित्त मंत्रालय ने एक लाख 43 हजार करोड़ रुपये की धनराशि को नहीं वसूलने योग्य बकाया राशि के रूप में दर्शाया है, कर–वंचना के ज्ञात मामलों में बकाया राशि को खारिज करने का विकल्प न्यूनतम होना चाहिए।

- **प्राकृतिक खनिज संसाधनों की रॉयल्टी** : खनिज संसाधनों से प्रचूर राज्यों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में संसाधनों जैसे कोयले, लौह अयस्क एवं बॉक्साईट के उत्खनन शुल्क के भुगतान से संबद्ध नीतियों की समीक्षा की जाए एवं यह सुनिश्चित की जाए कि ऐसे राज्यों को पर्याप्त अधिशुल्क (रॉयल्टी) प्राप्त हो और प्राप्त राशि को खदान क्षेत्रों के स्थायी विकास के लिए व्यय किया जाए। ताकि वहां के मूल निवासियों की सुविधाओं में वृद्धि की जा सके।

- **पैन संख्या न बताने पर कर कटौती की दर तीस प्रतिशत** : पैन संख्या न बताने की सूरत में स्रोत पर किये जाने वाले कर कटौती की दर को बीस प्रतिशत से बढ़ाते हुए तीस प्रतिशत करना चाहिए। बीस प्रतिशत की मौजूदा दर उस स्थिति में नाकाफी प्रतीत होती है जब कोई तीस प्रतिशत के उच्चतम स्लैब में आने वाला करदाता अपनी आय को छुपाने हेतु बिना पैन नम्बर बताये बीस प्रतिशत की कटौती के साथ भुगतान प्राप्त कर लेता हो।

- **टैक्स रिफंड पर 6 की जगह 12 प्रतिशत ब्याज** : आयकर की धारा 244 ए के अंतर्गत टैक्स रिफंड पर सरकार द्वारा छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है, वहीं देय टैक्स जमा होने में हुई देरी पर सरकार द्वारा आयकर दाता से सेक्शन 234 बी के तहत बारह प्रतिशत कर लिया जाता है। हमारा प्रस्ताव है कि दोनो ही परिस्थतियों में सरकार बारह प्रतिशत की दर से ब्याज ले या रिफंड में देरी होने पर ब्याज दे।

- **देश हित में व्यय कर रही कम्पनियों को आय में सौ प्रतिशत की छूट का प्रावधान** : वे सभी कंपनियां जो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने आय का एक अंश कार्पोरेट सोशल रिसपॉन्सब्लिटी के अंतर्गत देश हित में व्यय कर रही हो उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ऑडिटर के प्रमाण पत्र के साथ सौ प्रतिशत की आय में छूट का प्रावधान किया जाये।

- वित्तीय अधिनियम 2008 के तहत डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के प्रावधानों को और तर्कसंगत बनाते हुए यह सुविधा दी जाये कि सबसिडरी कंपनियों से कर पश्चात् प्राप्त डिवीडेंट (लाभांश)

होल्डिंग कंपनी की आय में करमुक्त होगी। इस प्रावधान का उद्देश्य एक ही आय को दो बार कराधान होने से बचाना है।

- तेजी से विकसित होती हुई नई तकनीक के दौर में कल–कारखानों एवं मशीनों के उपर 15 प्रतिशत की दर से दी जाने वाली ह्रास अर्थात डेप्रिसियेशन की दर को तर्कसंगत बनाते हुए 25 प्रतिशत करना उचित होगा। साथ ही उन कारखानों में जहां दो या तीन पारियों में कारखाने चलाये जाते हैं वहां कम्पनिज् एक्ट के प्रावधान के मुताबिक डेप्रिसियेशन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
- **संपूर्ण देश में सेल टैक्स की समान दरें** : इस वित्तीय वर्ष के बजट से एक महत्वपूर्ण अपेक्षा यह है कि संपूर्ण देश में सेल टैक्स की दरों में समानीकरण करते हुए गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स की एक प्रणाली को लागू किया जाये जिससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आये एवं दोहरे कराधान से उपभोक्ता, व्यापारियों एवं उद्यमियों को राहत दिया जा सके।

वेतनभोगी एवं मध्यम आय वर्ग के लाभ हेतु आयकर कानून में संशोधन के सुझाव

सरकार साल दर साल आयकर कानून को ज्यादा सरल एवं तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काफी सुधार की गुंजाइश है। आयकर कानूनों के वर्तमान स्वरूप में अनेकों ऐसे अविवेकपूर्ण प्रावधान हैं जिनकी वजह से करदाताओं को परेशानी होती है एवं उन्हें अनावश्यक नुकसान भी उठाना पड़ता है। भारत का मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परन्तु महंगाई एवं बढ़ते हुए ब्याज दरों के बोझ से दबा वेतन भोगी, छोटे व्यापारी एवं नौकरीपेशा समुदाय के लिए जीवन यापन का खर्च बढ़ता जा रहा है। इस वर्ग को तत्काल राहत देने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत रहे। अब जबकि इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 01 अप्रैल, 2013 से डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) को लागू नहीं किया जाएगा, ऐसे में माननीय वित्त मंत्री को निश्चित रूप से इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।

इस वैकल्पिक बजट में हम वेतनभोगी एवं मध्यम आय वर्ग के लाभ हेतु निम्नांकित प्रावधानों का सुझाव देना चाहते हैं।

- 36 **हजार रुपये तक की राशि उपहारस्वरूप देने पर क्लबिंग टैक्स नहीं** : इनकम टैक्स एक्ट की धारा 64 के प्रावधानों के अनुसार एक पति अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं दे सकता । ना ही ससुर या सास अपनी बहू को गिफ्ट दे सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उस पर क्लबिंग प्रावधान लागू होंगे एवं इसके तहत पत्नी के आय को पति के आय के साथ ही जोड़ा जाएगा या क्लब किया जाएगा। नये वित्त विधेयक में इसमें निश्चित रूप से संशोधन करने की जरूरत है। इसमें कुछ ऐसी उचित राशि का प्रावधान जरूर करना चाहिए जिसे यदि अपनी पत्नी को दिया जाए तो वह धारा 64 के प्रावधानों के अंतर्गत न आए। हमारा सुझाव है कि वर्ष में 36 हजार रुपये तक की राशि उपहारस्वरूप देने पर उसे धारा 64 के प्रावधान के तहत नहीं जोड़ना चाहिए।

- **सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों पर एक समान कर** : वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट,1962 के नियम संख्या–3 में कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने संबंधी मसलों को लेकर एकदम अलग प्रावधान अपनाए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए (मुफ्त आवास) सिर्फ लाइसेंस फीस देना होता है एवं कोई टैक्स भी नहीं देना होता। जबकि गैर– सरकारी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्राप्त मुफ्त (रेंट फ्री) आवास के मद्देनजर उन्हें अपनी सैलरी का 7.5 फीसदी या 15 फीसदी कर देना होता है। यह प्रतिशत सीमा शहर की आबादी पर निर्भर करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों पर लगने वाले कर में इतना भेदभाव क्यों? निश्चित रूप से आयकर कानूनों में से ऐसे प्रावधान को हटाया जाना चाहिए। इन कानूनों में सैलरी एवं कंपनी द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाओं पर एक समान कर का प्रावधान होना चाहिए एवं आगामी वित्त विधेयक में इसे भी निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

- **आवास भत्ता में आवश्यक परिवर्तन** : वैसे सभी करदाताओं के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है एवं वे किराये के मकानों में रहते हैं या फिर वैसे कर्मचारी जिन्हें कंपनी की तरफ से आवास की सुविधा नहीं मिलती व आवास भत्ता भी नहीं मिलता, ऐसे लोग विशेष कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80जीजी के तहत ऐसे करदाता आवास किराये के मद्देनजर अपनी इनकम पर 25 फीसदी तक के डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। एक नजर में यह प्रशंसनीय लग रहा है पर आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि डिडक्शन की जो लिमिट तय की गई है वह प्रति महीने के हिसाब से महज 2,000 रुपये ही है। पिछले कई वर्षों से यह लिमिट इतनी ही है। परंतु अब समय आ गया है कि इसमें भी आवश्यक परिवर्तन किये जायें।
- **स्टैंडर्ड डिडक्शन** :सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पहले की तरह ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की मंजूरी देनी चाहिए।
- **कैपिटल गेन बांड में 50 लाख की सीमा समाप्त** : कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए करदाताओं को आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार कैपिटल गेन बांड में निवेश करना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54ईसी के तहत इस क्षेत्र में निवेश करने की अधिकतम सीमा इस समय 50 लाख रुपये है। पूर्व में इस तरह की कोई निवेश सीमा तय नहीं की गई थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में आमतौर पर काले धन का इस्तमाल नहीं होता था। लेकिन सरकार ने दो साल पहले कैपिटल गेन बांड्स में निवेश संबंधी कानूनों में संशोधन करते हुए इसकी सीमा 50 लाख रुपये निश्चित कर दी। लेकिन निवेश की इस सीमा के कारण एक ओर जहाँ टैक्स की चोरी होती है वहीं आधारभूत संरचना निर्माण के क्षेत्र में धन की कमी भी होती है। इसलिए इस सीमा को निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए।
- **लीव ट्रेवल पर कर्मचारियों को चार साल में दो की बजाय वर्ष में एक बार यात्रा संबंधी खर्चे पर छूटः** जहां तक नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली लीव ट्रेवल असिस्टेंस की बात है तो इस पर कर्मचारियों को 4 साल की अवधि में दो बार कर छूट का लाभ मिलता है। हालांकि वर्तमान नियमों के तहत कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। इस डिडक्शन को इनकम टैक्स एक्ट,1961 की धारा 10 (5) में स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह छूट कर्माचारी द्वारा देश के बाहर यात्रा करने पर नहीं मिलती है। इसलिए निश्चित रूप से इन नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए एवं कर्मचारी को देश के बाहर यात्रा पर भी छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा वर्तमान कानून के तहत जो छूट है वह ट्रेवल कन्सेशन पर मान्य है न कि खाने–पीने एवं ठहरने संबंधी खर्चे पर। लेकिन जरा सोचिए,यदि कोई कर्माचारी कहीं घूमने एवं अच्छा समय बिताने गया है तो उसे आधा–अधूरा फायदा देने का क्या मतलब है? उसकी यात्रा को आनंदायक बनाने के लिए धारा 10 (5) के तहत मिलने वाले डिडक्शन में न केवल ट्रैवल कन्सेशन को शामिल किया जाना चाहिए बल्कि बोर्डिंग एवं लॉजिंग संबंधी खर्चे को भी शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन दिनों कर्मचारी बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में

काम करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें टैक्स में प्रत्येक वर्ष में एक बार यात्रा संबंधी खर्चे पर छूट लेने की सुविधा दी जानी चाहिए। इसलिए वित्त विधेयक में संबंधित बदलाव जरूर किये जाने चाहिए।

– **कर्मचारियों के मेडिकल संबंधी खर्चों पर 15,000 रुपये की बजाये 30000 तक के व्यय पर कर छूट** : इस समय वेतनभोगी कर्मचारियों को 1998 में सेक्शन 17 के तहत मेडिकल संबंधी खर्चों के मद्देनजर प्रतिवर्ष 15,000 रुपये तक के व्यय पर कर छूट मिल रही है। स्वास्थ सेवाओं एवं दवाओं की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए छूट की सीमा को 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपया निर्धारित करना चाहिए।

– **बच्चे की शिक्षा से संबंधी प्रत्यक्ष खर्चे जैसे स्कूल बस की फीस, हॉस्टल फीस, किताबें आदि पर होने वाले खर्चे टैक्स छूट के दायरे में** : इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत कोई करदाता ट्यूशन फीस पर किए गए खर्च के रूप में वर्तमान नियमों के तहत 1 लाख रुपये तक की आयकर छूट प्राप्त कर सकता है। गौरतलब है कि डिडक्शन सिर्फ ट्यूशन फीस (शिक्षण) के लिए है। इसमें बच्चे की शिक्षा से संबंधी प्रत्यक्ष खर्चे जैसे स्कूल बस की फीस, हॉस्टल फीस, किताबें आदि जैसे अन्य खर्चे जिनका कि आपके बच्चे की शिक्षा के साथ सीधा संबंध है, इन पर होने वाले खर्चे को टैक्स छूट के दायरे में नहीं रखा गया है। माननीय वित्त मंत्री को इस मसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए एवं धारा 80 सी के तहत इन खर्चों पर भी छूट देनी चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा से खर्चे के कारण उनके माता–पिता कोई समझौता न करें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आज के बच्चे ही कल के भारत के भविष्य हैं।

– **चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउन्स मे बढ़ोत्तरी** : अभिभावकों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउन्स को सौ रूपये प्रतिमाह के मौजूदा दर से बढ़ाते हुए अभिभावकों को एक हजार रूपये प्रतिमाह या मूल शुल्क, जो कम हो, उसे भत्ता स्वरूप आय से घटाने की अनुमति दी जानी चाहिए। एवं हॉस्टल एलाउन्स को भी 300 रुपया प्रतिमाह से बढ़ाते हुए 3000 रुपये प्रतिमाह करना चाहिए। साथ ही तकनीकी शिक्षा यथा– इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कम्प्यूटर साईंस, मेडिकल, मीडिया एवं अन्य में उच्च शिक्षा हेतु अभिभावकों को अपनी आय से तीन हजार रूपये प्रतिमाह या मूल शुल्क, जो कम हो, उसे चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउन्स के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए।

– **ट्रांसपोटेशन एलाउन्स मे वृद्धि** : हाल के दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों में हुई मूल्यवृद्धि के कारण मौजूदा 800 रुपये की ट्रांसपोटेशन एलाउन्स की दर नाकाफी प्रतीत होती है, इसे चार गुना बढ़ाते हुए 3200 प्रतिमाह करना चाहिए।

– **80सी की छूट सीमा मे वृद्धि** : आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर दाताओं को जमा योजनाओं के तहत एक लाख रूपये तक के निवेश पर 20 प्रतिशत की छूट कर में दी जाती है। निवेश को बढ़ावा देने हेतु इस छूट की सीमा को बढ़ाते हुए कर दाताओं को डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर छूट प्रदान किया जाये साथ ही पीपीएफ योजनाओं में एक लाख रुपये के निवेश की सीमा को बढ़ाते हुए एक लाख बीस हजार किया जाना चाहिए।

- **बैंक एफडी पर 20 हजार रुपये तक के ब्याज को कर मुक्त किया जाये** :मुद्रास्फीति की तीव्र दर के कारण बैंकों में अपनी बचत को जमा करने वाले छोटे निवेशकों की आय पर असर पड़ा है। बैंकों की जमा दर भी घटने की आशंका है। अतः छोटे जमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों से 20 हजार रुपये तक पर प्राप्त ब्याज की राशि को कर से मुक्त करना चाहिए।
- **गृह ऋण पर आयकर छूट की सीमा बढ़े** :पिछले दस वर्षों में जमीन की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। अपना घर बना पाने का सपना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गृह ऋण पर लगने वाले ब्याज एवं पुनर्अदायगी पर छूट की सीमा को मौजूदा डेढ़ लाख से बढ़ाते हुए ढाई लाख करना चाहिए। यह छूट करदाता को सिर्फ उसी घर हेतु मिलेगा जिसमें वह स्वयं रहता हो।
- **आयकर के छूट की सीमा में बढ़ोत्तरी** : वित्तीय मामलों पर यशवंत सिन्हां की अगुवाई वाली संसद की स्थाई समिति ने आयकर में छूट की सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है. परन्तु वित्त मंत्री को वित्तीय घाटा के मद्देनजर ही बजट में इस पर कोई फैसला लेना होगा। आयकर के छूट की सीमा को मौजूदा दो लाख से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार एवं महिलाओं हेतु तीन लाख तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु साढ़े तीन लाख करना चाहिए तथा 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गो हेतु टैक्स स्लैब यथावत रहने देना चाहिए।

एक्साईज एंड कस्टम ड्यूटी

देश मे मौजूदा कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इसकी निर्भरता प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष करों पर अधिक है। ध्यान रहे अप्रत्यक्ष कर जैसे कि एक्साईज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स आदि का भुगतान वैसे व्यक्तियों को भी करना पड़ता है जिनकी आय करदेयता की सीमा से कम हो। यदि कोई गरीब व्यक्ति नमक, माचिस अथवा साबून खरीदता है तो वो भी एक्साईज ड्यूटी का मूल्य चुकाते हुए सरकार को टैक्स दे रहा होता है। या अगर कोई छात्र जिसकी आमदनी अभी शुरू भी नही हुई है, मोबाईल फोन से बातचीत करता हो तो वह भी सर्विस टैक्स के माध्यम से सरकार को टैक्स दे रहा होता है। पूर्व वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने पिछले 3 सालो में करीब एक लाख करोड़ के नये टैक्स थोपे थे, जिनसे महंगाई बढती गई, ग्रोथ थम गया, रोजगार मे कमी हुई और वित्तीय अनुशासन विफल हो गया।

भारत की मुसीबतों के केंद्र में महंगाई है। जिसने मांग को खत्म किया है और मांग ने नए पूंजी निवेश को। देशी व विदेशी निवेश सूखने से ग्रोथ लड़खड़ा गई। रोजगारों में कमी, सरकार के राजस्व में गिरावट और घाटा इसी दुष्चक्र का नतीजा है। ग्रोथ गई तो विदेशी निवेशकों का विश्वास भी गुम गया जिसके कारण विदेशी पूंजी की आवक में गिरावट आई है। आयात तो नहीं थमे इसलिए विदेशी मुद्रा की आवक व निकासी में अंतर अब इतना बढ़ गया है कि डॉलर के मुकाबले रुपया तलहटी पर है और विदेशी मुद्रा–सुरक्षा खतरे में हैं। कुल मिलाकर महंगाई, मंदी,

मरियल ग्रोथ और कमजोर रुपया भारत के संकट का ताजा पर्चा है और ताकतवर महंगाई व कमजोर रुपये का इलाज फिलहाल सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। जो ना होने पर अर्थव्यवस्था भी डूबेगी और कांग्रेस की चुनावी संभावनायें भी।

एक्साईज ड्यूटी में कमी चिदंबरम का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। महंगाई के इलाज, मांग को प्रोत्साहन और निवेश को बढ़ावा देने का यही एक तात्कालिक रास्ता है। इस मामले में प्रणव के बजट बड़े कुख्यात थे। पता नहीं किस सूझ के तहत उन्होंने घटती मांग के बीचो–बीच उत्पादन को बुरी तरह महंगा कर दिया था। पिछले तीन बजटों में एक्साइज व कस्टम की दरें बढ़ाने के रिकार्ड बने और एक लाख रुपये का अतिरिक्त टैक्स जुटाया गया। टैक्स बढ़ने से घाटा तो कम नहीं हुआ अलबत्ता, महंगाई के पैर जम गए। लागत ऊंची होने से कई कंपनियां उत्पादन छोड़ ट्रेडिंग पर आ गईं और आयात बढ़ गया क्यों कि भारत में कई उत्पादों का आयात, घरेलू उत्पादन से सस्ता है। चिदंबरम को मुखर्जी राज के चिह्न मिटाते हुए उत्पाद शुल्क की दर 12 से 8 फीसदी, सीमा शुल्क की शीर्ष दर 10 से 9 फीसदी और सेवा कर को 12 से 10 या 7.5 फीसदी पर लाना चाहिए, ताकि उत्पादन सस्ता हो सके और मांग व निवेश लौट सके।

वैसी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर बढ़ाया जा सकता है जिसका उपभोग सुपर रिच सेगमेन्ट करता है। जैसेकि–

- आईफोन, डबल डोर फ्रीज, 32 इंच से बड़े टीवी, एसयूवी एवं 6 लाख से अधिक की कारों, 80 हजार से ज्यादा की मोटरसाईकिल, 50 हजार से अधिक के लैपटॉप, लग्जरी फर्नीचर, तम्बाकू, सिगरेट, शराब, गुटका आदि पर वर्तमान के कर दर में 7 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है।
- 5 सितारा होटलों में विलासिता कर को बढ़ाया जाये।
- महंगे रेस्ट्रॉ एवं बेंक्विट हॉल में टैक्स को बढ़ाया जाये
- लग्जरी गाड़ियों में ज्यादा टैक्स लिया जाये।
- विलासितापूर्ण परिवहन के साधनों जैसे हवाईजहाज, निजी हैलिकॉप्टरों या चार्टड प्लेन पर टैक्स लगा कर प्रत्यक्ष कर इकट्ठा करना चाहिए एवं उसे सार्वजनिक परिवहण की हालत सुधारने में खर्च करना चाहिए।

राजस्व बढ़ाने के वैकल्पिक उपाय:

- **प्रत्यक्ष करों में वृद्धि** : भारत में केन्द्र एवं सभी राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व जीडीपी का मात्र 16.6 प्रतिशत है। यह सभी विकसित एवं कई विकासशील देशों से भी कम है। अतः इसे तुरन्त बढ़ाने की आवश्यकता है। टैक्स जीडीपी रेश्यू के मामले में भारत जी–20, एवं ब्रिक्स देशों के समूह में नीचे से दूसरे स्थान पर है और कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अनुपात मात्र 32 प्रतिशत है, जोकि बहुत कम है। भारत की कुल आबादी के मात्र 1.3 प्रतिशत लोग ही वार्षिक 20 लाख से अधिक के टैक्स का भुगतान करते हैं। आवश्यकता है कि इस दायरे को बढ़ाया जाये।

- **वेल्थ टैक्स और विरासत कर** : सरकार द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स का एक उद्देश्य यह भी होता है कि साधनवान से कर वसूल कर उसका निर्धनों के विकास हेतु इस प्रकार व्यय किये जाये कि उनके जीवन का स्तर बेहतर हो एवं उनकी आय बढ़े। भारत के शीर्ष 5 प्रतिशत परिवारों के पास देश की 38 प्रतिशत संपत्ति है। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक देश में ऐसे 55 डॉलर बिलेनियर हैं जिनकी कुल संपति 12 लाख 96 हजार करोड़ रुपये है। देश मे पैदा हो रही अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के लिए 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति रखने वाले लोगों पर 1 प्रतिशत संपत्ति कर (वेल्थ टैक्स) लगाया जाना चाहिये। एक अनुमान के मुताबिक यदि वेल्थ टैक्स और विरासत कर (इनहैरिटेन्स टैक्स) की सही तरीके से वसूली की जाये तो प्रति वर्ष 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होगी।

- **छूट प्राप्त बड़े उद्योगों के न्यूनतम वैकल्पिक कर में वृद्धि** : भारतीय उद्योग जगत को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कर मे छूट एवं रियायते प्रदान की जा रही हैं। कुल मिलाकर पिछले वर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रूपये की रियायत सरकार द्वारा उद्योग जगत को प्रदान की गई। देश के बढ़ते वित्तीय घाटे को देखते हुए इन रियायतों को कम करने की आवश्यकता है। वित्तीय अधिनियम 2011 के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत छूट प्राप्त कम्पनियों पर भी 18 प्रतिशत से साढ़े 18 प्रतिशत तक का न्यूनतम वैकल्पिक कर अर्थात मैट का प्रस्ताव किया गया था। इस टैक्स को बढ़ा कर 25 प्रतिशत किया जाये।

- **मॉरिशस रूट पर लगाम** : भारत–मॉरिशस के बीच दोहरे कराधान को रोकने हेतु संधि के आड़ में कई बार कैपिटल गेन टैक्स की चोरी होती है। ऐसे में भारत को कई देशों के संग साईन की गई डबल टैक्सेशन ऑवाइडेन्स एग्रीमेन्ट की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही इस तरह के अनुबंधों के आधार पर जिन कंपनियों को छूट प्रदान की जा रही है उससे संबंधित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करना चाहिए।

- **दस लाख से अधिक के कृषि आय पर टैक्स** : देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसानों की माली हालत में सुधार करने की आवश्यकता है। अतः कृषि से प्राप्त आय को आज तक सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा गया है, परन्तु कई समृद्ध

उद्यागपतियों को भी बड़े फार्म हाउस से होने वाली लाखों रुपये की आय को कर मुक्त कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में दस लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय करने वाले समृद्ध किसानों को आयकर की सीमा में लाना चाहिए। दस से पंद्रह लाख रुपये तक की आय पर दस प्रतिशत की दर से एवं पंद्रह लाख से अधिक की आय पर बीस प्रतिशत की दर से कर चुकाने के प्रावधान होना चाहिए।

- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश** : विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी गैरजरूरी क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के अंश को बेचा जाना चाहिए। विनिवेश की प्रक्रिया में आम निवेशकों, संस्थागत निवेशकों एवं विदेशी संस्थागत निवेशकों को बराबर रूप से शेयरों का आवंटन किया जाना चाहिए। 2012–13 वित्तीय वर्ष हेतु कुल पचास हजार करोड़ रुपये का जुटान विनिवेश के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार यदि चरणबद्ध तरीके से अगले 5 वर्षों में सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को कम करते हुए 51 प्रतिशत तक नीचे ले आये एवं गैर जरूरी क्षेत्रों से सरकार अपनी हिस्सेदारी को पूर्ण रूप से बेच दे तो प्रत्येक वर्ष 50 हजार करोड़ रुपये का जुटान किया जा सकता है।
- **स्पेक्ट्रम, एस–बैंड एवं कोल ब्लॉकों की नीलामी** : राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु टूजी, थ्रीजी एवं फोरजी स्पेक्ट्रम की दुबारा नीलामी की जानी चाहिए। नीलामी की प्रक्रिया में विदेशी टेलीकॉम कम्पनियां सीधे तौर पर अपने सहयोगी भारतीय कम्पनियों के साथ मिलकर भाग ले सकती हैं। इस तरह स्पेक्ट्रम नीलामी से एक लाख करोड़ से अधिक की उगाही संभव हो सकती है । साथ ही सरकार को कोल ब्लॉको का पुनः आवंटन नीलामी के आधार पर करना चाहिए।

काला धन के रोकथाम हेतु

जिस देश की एक चौथाई से ज्यादा आबादी को दो जून का खाना नसीब नहीं होता है और जहां प्रतिवर्ष लाखों बच्चे और महिलाएं बिना इलाज के दम तोड़ देते हों उस देश के चंद लोगों की काली कमाई का करीब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक धन विदेशी बैंकों की शोभा बढ़ा रहा हैं। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30 फीसद है। यदि काला धन न होता तो देश की अर्थव्यवस्था करीब नौ हजार अरब डॉलर की होती. इस तरह से अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। हालांकि कई शोधकर्ताओं एवं रिपोर्टों के मुताबिक यह रकम 25 लाख करोड़ से काफी अधिक है यानि की 75 लाख करोड़ से लेकर 400 लाख करोड़ के बराबर है।

देश की धन संपदा को गैर कानूनी तरीके से जोंक की तरह चूस कर विदेशी बैंकों की शोभा बढ़ाने के इस खेल में राजनेताओं और नौकरशाहों से लेकर बड़े उद्योगपति शामिल हैं। देश की कुल ब्लैक मनी का लेन देन एक तिहाई रीयल एस्टेट, निर्माण और सोने तथा अन्य उपभोक्ता समानों की खरीदारी में होता है. इसके अलावा मादक पदार्थो की तस्करी भी काले धन का बड़ा स्रोत है। काले धन का पता लगाने के लिये किये गये प्रयासों का नतीजा ही रहा कि पिछले तीन वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का पता लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि सरकार इस बजट में काले धन को काबू में करने के लिए क्या कर सकती है। सरकार के गले की हड्डी बने इस मुद्दे की धार को कम करने के लिए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को कल के बजट में काले धन की अनुमानित राशि के बारे में खुलासा करना चाहिए।

- हमारा सुझाव है कि काले धन की समस्या पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए वित्तमंत्री को इस बजट में एक समग्र राष्ट्रीय नीति की घोषणा करनी चाहिए।
- सोने के आयात पर और कड़ाई करनी चाहिए।
- देश का धन गैर कानूनी तरीके से विदेश में जाने से रोकने के लिए कड़े उपायों का प्रावधान होना चाहिए।
- सरकार को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित कराना चाहिए, जिसके माध्यम से सरकार अन्य देशों से उन भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के नागरिकों के नाम एवं जमा धन का ब्यौरा हासिल करे जिनके खाते वहां के बैंकों में हैं। और सभी देश उन ट्रस्ट और कंपनियों के नाम भी घोषित करें, जिनके ट्रस्टी या निर्देशक या मालिक भारतीय हैं। और सभी देश एक दूसरे की मदद करने हेतु इस तरह के खातों एवं वित्तीय लेनदेन की सूचना साझा करें।
- विदेशों में रखी संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य करना चाहिए। विदेशों में संपत्ति के मामले में आयकर विभाग को 16 साल तक के पिछले आयकर रिटर्न की जांच करने का अधिकार होना चाहिए।

- दो लाख रुपये से अधिक राशि के सोना एवं चांदी या आभूषण की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर संग्रह करना चाहिए।
- शहरों में 50 लाख रुपए तथा गैर शहरी क्षेत्रों में 20 लाख रुपए से अधिक की अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर वसूली करनी चाहिए।

सरकार को छह महीनो के लिए ऑफशोर वॉलंट्री डिसक्लोजर स्कीम लाने पर विचार करना चाहिए। इस स्कीम के तहत विदेशो में जमा काले धन का स्रोत बताये बिना 30 से 50 प्रतिशत का जुर्माना भरते हुए रकम को भारत लाने की छूट दी जा सकती है। हमारा सुझाव है कि विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन का राष्ट्रीयकरण किया जाये, विदेशी बैंकों एवं राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त कर ऐसे सभी जमाकर्ताओं के नाम उजागर कर उनपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति योजना लागू होने के छह महीने की अवधि के अन्दर स्वैक्षिक रूप से अपने काले धन की घोषणा नहीं करता हो तो बाद मे उसके संपत्तियों की जानकारी लगाते हुए उसके संपूर्ण संपत्ति को जब्त करते हुए 150 प्रतिशत की पेनाल्टी लगाया जायेगा।

- काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए ऑनलाइन डाटा बैंक सिस्टम के गठन की बजट में घोषणा करनी चाहिए। इस तंत्र का प्रमुख काम वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई संदिग्ध लेने देन की जानकारी की जांच करना होगा. इसमें CBDT, DRI, CEIB, DGCE तथा FIU के सदस्य होंगे। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय खुफिया तंत्र को वर्ष 2011–12 में संदिग्ध लेन देन के 13871 मामलों का पता चला है. अध्ययन के अनुसार यदि इस गैर कानूनी ब्लैक मनी का पता लगा लिया जाए और उस पर 30 फीसद की दर से टैक्स लगाया जाए तो उससे प्राप्त होने वाले 8.5 लाख करोड़ रुपए से देश के 626 जिलों में दो हजार बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल खोले जा सकते हैं. अध्ययन बताते हैं कि यदि यह सारी ब्लैक मनी वापस आ जाए तो तो देश के प्रत्येक नागरिक और उद्योगों को एक साल तक टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- देश मे रुपयों के लेनदेन के लिए चेक एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाईन मनी ट्रांसफर आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सबसे लाभदायक हो सकता है मोबाईल फोन के माध्यम से रुपयों का लेनदेन। जरा सोचिए, आप किसी दुकान से खरीदारी करने के बाद भुगतान यदि अपने मोबाईल फोन के माध्यम से दुकानदार के बैंक एकाउंट में करते हैं तो ऐसे मे सारे ट्रांसजेक्शनो का रिकॉर्ड चेक करना संभव हो पायेगा। यदि देश मे बड़े नोटों यथा 500 एवं 1000 के नोटों का परिचालन करेन्सी रिकॉल के माध्यम से बंद कर दिया जाये, तो इससे भी काले धन पर लगाम लगाने मे मदद मिल सकेगी।
- वैसे भारतीय जिन्होंने अपना काला धन विदेशी बैंकों में जमा करा रखा है, उनका पता लगाने के लिए एक कारगर तरीका यह भी हो सकता है कि भारत में प्रयोग होने वाले सभी विदेशी क्रेडिट कार्ड के आंकड़ों की जांच की जाये। यदि ये क्रेडिट कार्ड भारतीय

नागरिक या भारतीय मूल के नागरिकों के नाम से हैं तब उनसे संबंधित विदेशी बैंक खातों की जानकारी हासिल करनी चाहिए।

- भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित बड़ी काली कमाई के विषय में ठोस सूचना देने वाले को जब्त रकम का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप देना चाहिए। ऐसा होने पर भ्रष्ट मंत्रियों, अफसरों या एजेंटों, जिनके पास काला धन है, उनके कर्मचारियों आदि को प्रेरित करेगा कि वो विश्वसनीय जानकारी दे और अपना हिस्सा प्राप्त करें।

देश के अन्दर काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था के मूल मे है काले धन का जमीन एवं सोने के रूप में परिवर्तित हो जाना। यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी प्लॉट को खरीदती है तो ऐसा अक्सर होता है कि इस जमीन को खरीदने में घोषित आमदनी अथार्त टैक्स पेड व्हाईट मनी 20 से 60 प्रतिशत ही दी जाती है जिसका भुगतान चेक के माध्यम से होता है एवं जमीन मालिक को ब्लैक मनी नगद के माध्यम से भुगतान किया जाता है। ऐसे में खरीदार अपनी ब्लैक मनी को जमीन मे निवेश करने सक्षम हो जाता है एवं सरकार से न केवल कर चोरी कर कमाया गया पैसा छुपा लिया जाता है वरन् कम मूल्य पर रजिस्ट्री होने के कारण राजस्व की हानि भी होती है। वहीं बेचने वाला व्यक्ति भी जमीन की कीमत कम दिखा कर अपने लौंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की चोरी करता है। देश के अंदर काले धन की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण होगा रियल स्टेट के क्षेत्र में काले धन के निवेश को रोकना। इस संबंध में हमारे तीन सुझाव हैं:

1. भारत में जमीन की खरीद–बिक्री की रजिस्ट्री हेतु लगने वाला स्टैम्प शुल्क विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत अधिक है। यूरोप में यह 4 प्रतिशत है एवं सिंगापुर में मात्र 1 प्रतिशत। भारत में इसकी दर 8 से 11 प्रतिशत के बीच है। ऐसे में खरीदार रजिस्ट्री शुल्क को बचाने के लिए भी जमीन के मूल्य का भुगतान पूर्ण रूप से चेक के माध्यम से नहीं करता है। यदि स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी तो काले धन का प्रयोग करने की आवश्यकता घटेगी।

2. जमीन बेचने वाला पक्ष भी कैपिटल गेन टैक्स बचाने हेतु जमीन का पूरा मूल्य व्हाईट मनी के रूप में चेक से न लेकर नगद में भी काले धन के रूप में लेना चाहता है। यदि कैपिटल गेन टैक्स के प्रावधानों को और उदार बनाया जाये तो विक्रेता के लिए संपूर्ण बिक्री मूल्य चेक से प्राप्त करने में कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही सरकर को कैपिटल गेन टैक्स बचाने हेतु आयकर की धारा 54–ईसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड में निवेश करने की 50 लाख की अधिकतम सीमा को हटा देना चाहिए ताकि लोग जमीन एवं अन्य संपतियों की बिक्री से प्राप्त अपनी अधिक से अधिक आय को टैक्स बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष में जमा करें। इससे सौदों में व्हाईट मनी का प्रयोग बढ़ेगा और सरकार को देश की आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु फंड भी मिलेगा।

3. हमारा तीसरा और सबसे कारगर सुझाव यह है कि किसी भी 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले खरीददार और जमीन अथवा फ्लैट बेचने वाले के द्वारा घोषित रजिस्ट्री मूल्य, जिसका भूगतान व्हाईट मनी के रूप में किया गया हो की लिस्टिंग सरकार की एक केन्द्रीयकृत वेबसाईट पर की जाए। और यदि संपत्ति बेचने के 30 दिन के अंदर कोई तीसरी पार्टी यदि सरकार को उस जमीन के रजिस्ट्री मे बताये गये मूल्य से 25 प्रतिशत ज्यादा देने का ऑफर

करती है, तो सरकार खरीदने वाले को 20 प्रतिशत ज्यादा मूल्य देते हुए उस जमीन को तीसरे दल को बेच सकती है। यदि एक से अधिक लोग 25 प्रतिशत से अधिक का ऑफर करेंगे तो जो तीसरी पार्टी सबसे अधिक ऑफर करेगी, जमीन उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दी जायेगी।

मान लीजिए , एक प्लॉट का बाजार मूल्य 10 करोड़ है । आज के समय में ऐसे प्लाट 4 करोड़ सफेद धन , मतलब 'चेक' और 6 करोड़ काले धन (मतलब नकद रुपये , जो बिक्री के लेखे–जोखे में आएगा ही नहीं) के बदले बेचा–खरीदा जायेगा ।

यदि रजिस्ट्री में बताये गये मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक देने पर जमीन तीसरी पार्टी को स्थानान्तरित करने का प्रावधान हो जाये तो जमीन की खरीद बिक्री में काले धन का प्रयोग बहुत कम हो जायेगा । क्योंकि यदि किसी खरीदने वाले ने आधिकारिक रूप से जमीन का मूल्य 4 करोड़ घोषित किया है , जबकि उस जमीन का बाजार मूल्य 10 करोड़ है, तो बहुत से बोली लगाने वाले व्यक्ति आ जायेंगे और 10 करोड़ तक बोली लगाएंगे । अभी यदि कोई तीसरा व्यक्ति 10 करोड का प्रस्ताव करता है जमीन खरीदने के लिए, तो हमारे सुझाव के अनुसार, सरकार जमीन के पहले खरीदार को 4.80 करोड़ देगी और सबसे ज्यादा बोली (प्रस्ताव) लगाने वाले को प्लॉट दे देगी । इस तरह खरीदने वाले को 5.20 करोड़ रुपयों का नुकसान होगा।

सोना

- 1991 में जब भारत पर विदेशी मुद्रा का ऐतिहासिक संकट आया था तब भारत के पास महज एक महीने के आयात के भुगतान करने भर की विदेशी मुद्रा बची थी। आज हालत उससे बस थोड़े ही बेहतर हैं। जहाँ एक ओर चीन अपने विशालकाय अर्थव्यवस्था के बावजूद 3 साल से ज्यादा की भुगतान मुद्रा की हैसियत रखता है वहीं भारत के पास सिर्फ चालू महीने के अलावा 5 अन्य महीनों के भुगतान भर की ही विदेशी मुद्रा खजाने में है। उसमें भी अगर डॉलर के घटत–बढ़त अनुमान से ज्यादा हो जाये तो भी संकट पैदा हो सकता है। आखिर भ्पामत की विदेशी मुद्रा का खजाना खर्च कहां हो रहा है? अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 के बीच भारत में 38 अरब से ज्यादा का सोना आयात किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 में सोने के आयात पर देश का 56 अरब डॉलर स्वाहा हो गया। भारत में पेट्रौलियम उत्पादों के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा सोने के आयात पर ही खर्च होती है। सोने का बढ़ता आयात हमारे व्यापार संतुलन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है जो हमारी मुद्रा पर दबाव डाल रहा है। सोने के आयात के लिए इतना अधिक विदेशी मुद्रा विनिमय होता है कि सरकार के पास अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा ही नहीं बचती है। वर्तमान में भारत का आयात और निर्यात का अन्तर अथार्त करंट एकाउंट डिफिसिट जीडीपी के 5.7 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में भारत का करंट एकाउंट डिफिसिट (चालू खाते का घाटा) 78.2 बिलियन डॉलर के स्तर पर रहा जो कि अबतक का सबसे बड़ा घाटा था। इस घाटे का सबसे बड़ा कारण है सोने का बढ़ता आयात। सोने के आयातको की डॉलर की मांग को पूरा करने के क्रम मे रुपये की तुलना में डॉलर महंगा होता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव यह है कि पेट्रॉलियम पदार्थ, खाद्य तेल एवं अन्य कई जरूरी आयातित उत्पाद एवं कच्चा माल महंगा हो जाता है और देश में महंगाई बढ़ती है। सरकार का डॉलर रिजर्व घट जाता है एवं सरकार को डॉलर खरीदना पड़ता है। चिन्ता का सबसे बड़ा विषय यह है कि सोने में निवेश की गई रकम अनुत्पादक होती है। एक बार खरीदे जाने के बाद यह अधिकतर लॉकरों में ही रखा जाता है चाहे वह सिक्के हों या आभूषण। साथ ही काले धन की अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी को निवेश करने का सोना एक बड़ा माध्यम है।
- सोने के आयात को लगाम लगाने हेतु केन्द्र सरकार ने सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी को पिछले एक वर्ष में सोने पर सीमा शुल्क एक प्रतिशत से बढ़ाते हुए 6 प्रतिशत करने के बावजूद सोने का आयात 1000 टन का आंकड़ा छू रहा है। आयात शुल्क को अधिक बढ़ाने पर सोने की तस्करी को बढ़ावा मिलने की संभावना है। दुनिया में सोने की आपूर्ति पिछले कई सालों से 4 हजार टन सलाना पर स्थित है। जिसमें से लगभग 1100 टन भ्पामत में आयात हुआ। इतना आयात तब हो रहा है जब देश में मौजूद सोने का कुल स्टॉक 18000 टन से लेकर 25 हजार टन के बीच है जिसका मूल्य लगभग 75 लाख करोड़ रुपये होगा। यह सोना मुख्य रूप आभूषणों के रूप में लोगों के घरो एवं मंदिरों में रखा है। साथ ही उच्च आय वाले भी सोने को निवेश के एक बेहतर माध्यम मानते हुए सोने के बिस्कुट एवं सिक्कों के रूप में संचय कर रहे हैं।

- इस वैकल्पिक बजट के माध्यम से हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि 2 लाख से अधिक रुपये के सोने की खरीदारी लिए पैन नं. की जानकारी देना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही 4 लाख रुपये से अधिक के मूल्य का सोना खरीदने हेतु भुगतान चेक के माध्यम से ही होना चाहिए। सोने का लोन देने के कारोबार में लगी बैंकों एवं नन बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही आम नागरिकों को सोने में सीधा निवेश करने के बजाय गोल्ड ईटीएफ अथवा गोल्ड बॉड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ एवं गोल्ड बॉंड के एवज में वित्तीय संस्थानों में रखे गये सोने के भंडार का इस्तेमाल उत्पादक कार्यों में किया जाना चाहिए। इस सोने को बाजार की जरूरत के मुताबिक बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से लीज पर दिया जा सकता है। इस तरह सोने के आयात की मांग मे कमी आयेगी।
- वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक बचत दरो वाले देश मे से एक है जो कि हमारी कुल आय का 30 प्रतिशत है। जिसमे से 10 प्रतिशत का निवेश सोने में किया जाता है। बड़ी संख्या में उन ग्रामीण क्षेत्रो के निवेशक सोने मे निवेश करते हैं जहाँ बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान उपलब्ध नहीं है। भारत में अभी 80 प्रतिशत गांव में औपचारिक वित्तीय संस्थानों की पहुंच नहीं है। यह भी एक कारण है सोने में अधिक निवेश का। अतः वित्तीय समावेश की प्रक्रिया जितनी जल्दी बढ़ाई जायेगी, उतना अच्छा होगा।
- एक कम पढ़े–लिखे या अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति या महिला को बैंक में एकाउंट खोलने की विविध प्रक्रियाओं को पूरा करने एवं दस्तावेजों को जमा करने के बनिस्पत सोने में निवेश करना ज्यादा सरल प्रतीत होता है। अतः प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए एवं बैंकों में जमा रकम की निकासी की सुविधा को भी सुलभ और त्वरित बनाना चाहिए ताकि तरलता के मामले में सोने का मुकाबला किया जा सके। आबादी को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहिए। साथ ही आरबीआई एवं वित्त विभाग को देश के सभी नागरिकों को इस विषय में जागरूक बनाना के लिए एक सघन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि नागरिक अर्थव्यवस्था एवं स्वयं के हित में उचित निवेश के फैसले लें।
- एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा भारत में एक गोल्ड बैंक की स्थापना करनी चाहिए जो भारतीय घरों मे रखे सोने को आय के स्रोत में बदलेगा। स्वर्ण बैंक को आयात निर्यात, व्यापार, उधार देने, कर्ज लेने और स्वर्ण डेरीवेटिव्स के कारोबार की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बैंक में आम नागरिक, कंपनियाँ, ट्रस्ट एवं मंदिर अपना सोना जमा कर सकेंगे, जिस पर उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ मिले। साथ ही स्वर्ण कारोबारी अपनी जरूरत के मुताबिक सोना उधार ले सकेंगे। यह बैंक बुलियन एक्सचेंज का भी कार्य करेगा।
- गोल्ड बैंक की इस योजना को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के मंदिरो और धार्मिक स्थलों की हो सकती है क्योंकि हिन्दुस्तानियों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 25 हजार किलो सोना खरीदा जाता है, जिसका तकरीबन 10 प्रतिशत अथार्त 2 हजार से 2500 किलाग्राम तक सोना हर साल मंदिरों में चढ़ावे के रूप चढ़ाया जाता है। अगर देश के दस बड़ी कमाई वाली

मंदिरों की संपति को जोड़े ंतो यह तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंचती है। अकेले दक्षिण भारत के तिरुवनन्तपुरम स्थित श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर की संपत्ति तकरीबन 10 खरब रुपये आंकी गई है। अतः सरकार को अध्यादेश के माध्यम से मंदिरों में पड़े सोने को गोल्ड बैंक में जमा करने के लिए कहना चाहिए। जिसे मंदिर ट्रस्ट अपनी जरूरत के मुताबिक निकासी कर सकेगा।

कृषि

कृषि क्षेत्र में विकास की स्थिति शोचनीय है और अनगिनत किसानों ने बीते कुछ समय के दौरान आत्महत्या की है. जो अब भी जिंदगी से लड़ रहे हैं, उनका एक अच्छा–खासा हिस्सा अकुशल श्रम की तरफ मुड़ रहा है और इस तरह शहरी गरीबों की आबादी में और बढ़ोतरी कर रहा है. हमें हरित क्रांति जैसे किसी बदलाव की जरूरत है।

2012–13 के बजट मे कृषि एवं सहकारिता के आवंटन को 18 फीसद बढ़ाया गया था। 2010–11 में कृषि और सिंचाई के लिए 12836 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। अगर आप इसमें ग्रामीण विकास को भी जोड़ दें तो बजटीय आवंटन 67 हजार करोड़ हो जाता है। यह वित्त मंत्री द्वारा किये गये कुल आवंटनों के 15 फीसदी से भी कम है। और यह आलम तब है जब यूपीए सरकार ग्रामीण भारत यानि वास्तविक भारत के हालात पर लगातार चिन्ता जताती रही है। ग्रामीण भारत को रोजगार के कम से कम 15 करोड़ नए अवसरों की जरूरत है।

एक प्रतिबद्ध सरकार के तौर पर हमारा लक्ष्य इसे 5 साल के अन्दर पूरा करने का होना चाहिए न कि 65 साल में। इसलिए हर साल हमे 3 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा करनी होगी। ग्रामीण भारत में रोजगार का एक मौका पैदा करने का खर्च 33,750 रुपया आता है। इसका मतलब हुआ कि हर साल 1,00,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसलिए इस वैकल्पिक बजट में हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं, खासतौर पर किसानों के लिए सालाना 1,00,000 करोड़ रुपये का इजाफा. इस राशि का आधा हिस्सा हर साल ग्रामीण भारत के आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च होगा, जिसमें सिंचाई के इंतजामों को दुरुस्त करना, सड़कों की दशा सुधारना, कोल्ड स्टोरेज खोलना और बिजली का निर्बाध इंतजाम शामिल होगा. शेष आधी रकम हर साल ग्रामीण भारत के सामाजिक ढांचे को दुरुस्त करने में खर्च होगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ–सफाई का विशेष इंतजाम शामिल है.

पहले प्रयास के परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत की उत्पादकता में आश्चर्यजनक सुधार आएगा और किसानों की आय में खासी बढ़त होगी. दूसरे प्रयास की वजह से ग्रामीण भारत के मानव विकास सूचकांक में आश्चर्यजनक सुधार होगा. दोनों मिलकर रोजगार का सृजन करेंगे और ग्रामीण भारत की बेरोजगारी दूर करने में सुविधा होगी.

परती एवं वर्षा आधारित खेती, वाटरशेड विकास प्रोजेक्टों, सूक्ष्म और लघु सिंचाई प्रोजेक्टों के लिए पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए। खाद्य फसलों समेत कृषि फसलों को पूर्ण इंश्योरेंस कवर और 100 प्रतिशत प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानो के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (एनसीएफ) द्वारा सुझाए गए फार्मूले के आधार पर दिया जाना चाहिए। यह उत्पाद लागत का कम से कम डेढ़ गुना होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सार्वभौमिक कर देना चाहिए। पीडीएस में खाद्यान्नों मसलन ज्वार, दलहन और खाद्य देल को भी शामिल करना चाहिए। आपदा

या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पीडीएस में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। 'सोशल ऑडिट' को संस्थागत कर पीडीएस को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु अधिक धन राशि का आवंटन :** भारत कृषि आधारित देश है एवं सरकार को इस क्षेत्र को और बढ़ावा देना राष्ट्रहित मे है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारा सुझाव है कि सिंचाई परियोजना एवं जल विभाजक विकास परियोजना के लिए अधिक राशि प्रदान की जाए। साथ ही सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु अधिक धन राशि का आवंटन किया जाए।
- **कृषि उपज संपोषण योजना की शुरूआत/ उन्नत किस्म के बीज की कम दर पर उपलब्धता :** किसानों को उन्नत किस्म के बीज कम दर पर उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चत की जाये साथ ही बीजों के घरेलू उत्पादन के लिए पंचायतों को विशेष बजट का आवंटन किया जाए तथा एक सुपरिभाषित कृषि उपज संपोषण योजना तैयार की जाए जिसमें किसानों की भागीदारी तथा समस्याओं एवं चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए।
- **कृषि रोड मैप राष्ट्रीय स्तर पर लागू / प्रशिक्षित कृषि सलाहकारों की नियुक्ति :** बिहार सरकार ने कृषि के विकास हेतु एवं हरित क्रांति से आगे बढ़ते हुए रेन्बो क्रांति के लक्ष्य को पाने हेतु कृषि रोड मैप जारी किया है। यदि इस कृषि रोड मैप को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाये तो हरित क्रांति के बाद देश में यह दूसरा क्रांतिकारी कदम होगा। देश में भी किसानों को प्रशिक्षण, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता, बीज एवं खाद्य की उपलब्धता एवं बाजार से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारा सुझाव है कि देश में सहकारिता को अधिक मजबूत बनाते हुए पैक्सों की ताकत में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही किसानो को सही सलाह एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु देश के प्रत्येक ब्लॉक में आवश्यकता के अनुरूप कम से कम पाँच प्रशिक्षित कृषि सलाहकारों को नियुक्त करना चाहिए। देश में रेन्बो क्रांति लाने के लिए मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गीपालन एवं सुअर पालन के क्षेत्र किसानों को सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों को प्रोत्साहन एवं फूड सप्लाई चेन का निर्माण :** जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई जाएं तथा इस क्षेत्र में कृषि स्नातकों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए एवं उन्हें आर्थिक तथा ढांचागत सुविधायें मुहैया करायी जाये एवं एक फूड सप्लाई चेन का निर्माण किया जाये ताकि फसल को समुचित तरीके से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जा सके एवं किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल सके। साथ ही कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा हेतु बजट में विशेष प्रावधान किए जायें।
- **फसल बीमा योजनाओं को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता :** कृषि क्षेत्र के जोखिम प्रबंधन हेतु फसल बीमा योजनाओं को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसके तहत मौसम आधारित बीमा योजनाओं के साथ–साथ बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य सभी विषम परिस्थितियों में

किसानों को सुरक्षित किया जाये क्योंकि हाल के वर्षों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कई अन्य राज्यों में किसानों की आत्महत्या के मामलों के देखते हुए इस तरह की बीमा योजनाओं को लागू करना अत्यंत आवश्यकत है। सभी फसलों का पूर्ण बीमा होना चाहिए, जिसके प्रीमियम का शत्प्रतिशत भूगतान सरकार को वहन करना होगा। इस संबंध में इंश्योरेस कवरेज के लिए ग्राम पंचायतों को एक यूनिट मानना होगा।

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की लागत मूल्य का कम से काम डेढ़ गुणा हो** : अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का आकलन नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के सुझाव के अनुसार गेहूँ, चावल, बाजरे और अन्य जिन्सों के लिए तय होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की लागत मूल्य का कम से काम डेढ़ गुणा होना चाहिए।
- **ब्लॉक स्तर पर एक कृषि मंडी का विकास** : प्रत्येक जिले अथवा ब्लॉक स्तर पर एक कृषि मंडी का विकास होना चाहिए जहाँ दूर से आये किसानों के ठहरने एवं अनाज के भंडारन की सुविधा होनी चाहिए।
- **जैविक विधि से उपजाई जाने वाले फल एवं सब्जियों की ब्रांडिंगः** रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग किए बिना यदि जैविक खाद एवं वर्मीकम्पोस्ट के साथ जैविक खेती की जाए तो जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रहती है ऐसे में उपज बेहतर गुणवत्ता का होता है एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक विधि से उपजाई गई फल एवं सब्जियों की कीमत अधिक लगायी जा रही है। आवश्यकता है कि जैविक विधि से उपजाई जाने वाले फल एवं सब्जियों को ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराने की। सरकार को चाहिए कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में बजटीय अनुदान को बढ़ाये। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग बिना जैविक खेती के माध्यम से अधिक से अधिक खेती हो इसके लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं इसके लिए अधिक राशि आवंटित करें।
- कृषि के उपयोग में आने वाले कच्चे माल एवं फर्टिलाईजर आदि पर वर्तमान की सब्सिडी को कायम रखा जाये। वहीं इसके विपरीत औद्योगिक और सामान्य उपभोग में आने वाले डीजल, पेट्रौल, एलपीजी और किरासन तेल पर सब्सिडी पूरी तरह वापस लेना चाहिए।
- **केन्द्र सरकार की तरफ से किसानो को डीजल सब्सिडी अपनी तरफ से मुहैया कराना** : केन्द्र सरकर द्वारा डीजल पर सब्सिडी को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। प्रत्येक माह 50 पैसे की दर से डीजल के मूल्य में वृद्धि की जा रही हैं। देश में आज भी अधिकांश राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर न हो पाने के कारण किसानो को सिंचाई हेतु बिजली की समुचित सप्लाई नहीं मिल पाती है। केन्द्र सरकार की तरफ से किसानो को डीजल सब्सिडी अपनी तरफ से मुहैया कराना चाहिए। यह सब्सिडी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के तहत होनी चाहिए ताकि बिचौलियों की भूमिका को कम किया जा सके। इसका भुगतान पंचायत स्तर पर

बिजली आपूर्ति में हुई बाधा एवं किसान के जोत के आकार के आधार पर निर्धारित कर किया जाये।

- **वातानुकूलित लॉजिस्टिक चेन विकसित करने हेतु अनुदान** : देश मे उपजे फल एवं ताजी हरी सब्जियों की माँग पूरे देश एवं विदेशों मे भी है, परन्तु वातानुकूलित कार्गो एवं वेयर हाउसिंग के अभाव में किसानों के लिए अपनी उपज को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार में पहुंचा पाना संभव नहीं हो पाता है। हमारा आग्रह है कि इस बजट में सरकार वातानुकूलित लॉजिस्टिक चेन विकसित करने हेतु अनुदान प्रदान करने की घोषणा करे।
- **ग्रामीण इलाको में भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता** : कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ग्रामीण मूलभूत विकास निधि को पिछले बजट में 16 हजार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 18 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस वैकल्पिक बजट में हम यह प्रस्ताव करते हैं कि इस वर्ष इस निधि को बढ़ा कर 20 हजार करोड़ रुपये कर दिया जाये। इसे खास तौर पर ग्रामीण इलाको में भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ कर ने में मदद मिलेगी। इसी तरह शीतगृह और अन्य सप्लाई चेन से संबंधित प्रौद्योगिकी को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाना चाहिए। शीतगृह के उपकरणों के आयात पर लगने वाले ढाई प्रतिशत सीमा शुल्क को हटा देना चाहिए। वर्तमान में देश में भंडारण क्षमता में 3.2 करोड़ टन की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए दस हजार करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।
- **फूड पार्कों को बढ़ावा** : पिछले बजट मे देश में 15 फूड पार्कों का प्रावधान किया गया था, जिनमें से मात्र 5 में ही काम शुरू हो पाया है।

खाद्य सुरक्षा

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून हेतु राशि का आवंटनः** खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी न हो यह सुनिश्चित किया जाये एवं इसकी पूर्ति हेतु इस बजट में पर्याप्त राशि आवंटित की जाए।
- **कुपोषण से निपटने के लिए अनाज की नियत मात्रा पर पुनर्विचार :** कुपोषण से निपटने के लिए अनाज की नियत मात्रा पर पुनर्विचार किया जाये तथा इसे खाद्य सुरक्षा तंत्र में संलग्न किया जाए। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, विधवा महिलाओं, एवं शहीदों के परिजनों के लिए भी इस मद में विशेष व्यवस्था की जाये।
- **पर्याप्त अनाज भंडारण की सुविधा का निर्माण/ अनाज की बर्बादी संज्ञेय अपराध की श्रेणी मे :** खाद्य भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में पर्याप्त अनाज भंडारण की सुविधा का निर्माण युद्धस्तर पर किया जाए एवं ऐसे विशेष प्रावधान किए जाएँ कि अनाज के नष्ट होने से पहले विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसे लाभुकों तक पहुँचाया जाए। यदि अनाज रख–रखाव के अभाव में, लापरवाही से अथवा किसी भी परिस्थिति में सड़ता, खराब होता या बर्बाद होता हो तो इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाए। इन सभी ढांचागत सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट में प्रावधान किया जाये।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज, दलहन एवं खाद्य तेलों भी शामिल :** देश में महंगाई की समस्या को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को दुरूस्त करने एवं पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशा–निर्देशों में सामाजिक लेखा परीक्षक को संलग्न किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज, दलहन एवं खाद्य तेलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। आपदा और अनावृष्टि से ग्रसित क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है।

उद्यमिता विकास

– **उद्यमिता अवसर कोष की स्थापना** : देश में अधिक से अधिक संख्या में युवा उद्यमशीलता की राह पर चलते हुए अपने स्वरोजगार हेतु उद्योग–धंधे एवं कारोबार की शुरूआत कर सकें, इस हेतु एक उद्यमिता अवसर कोष की स्थापना करनी चाहिए। इस कोष में सरकार एवं वित्तीय संस्थान अपना योगदान देंगे। यह कोष ऐसे युवा उद्यमियों की मदद करेगा, जो नए उद्योग एवं उपक्रमों की स्थापना करना चाहते हों। इस दिशा मे निम्नांकित क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले युवा उद्यमियों हेतु विशेष मदद का प्रावधान करना चाहिए

1. जो सामाजिक उद्यमिता (Social Entrepreneurship) के माध्यम से एक Sustainable एवं Replicable बिजनेस मॉडल का निर्माण करना चाहते हैं।
2. सूचना प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में
3. शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग करने के क्षेत्र में
4. नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
5. रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में
6. बायो टेक्नोलॉजी एवं जेनेटिक्स रिसर्च के क्षेत्र में
7. एक्सपोर्ट ओरियन्टेड यूनिट्स के क्षेत्र में

ये फंड उद्यमों में वित्तीय सहायता, कर्ज के साथ–साथ इक्विटी निवेश भी करेगा। इस कोष के माध्यम से NRI, Venture Capitalist, Private Equity Funds एवं अन्य बड़े निवेशक भी युवा उद्यमियों के प्रोजेक्ट में इक्विटी खरीद कर भागीदारी ले पायेंगे।

– **इनक्युबेशन सेन्टर का गठन** : नए उद्यमियों की राह आसान करने हेतु प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत कुछ इनक्युबेशन सेन्टर का गठन करना चाहिए। ये सेन्टर प्रोजेक्ट डवलपमेंट से लेकर प्रोडेक्ट मार्केटिंग, कर्मचारी चयन एवं ब्रांडिंग जैसे अनेक मसलों पर नए उद्यमियों की मदद करेगा। विशेष रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने हेतु, मानव संसाधन के प्रशिक्षण हेतु एवं सरकारी विभागों के नियमों के अनुपालन हेतु नए उद्यमियों को राह दिखायेंगे। इनक्युबेशन सेन्टर में चयनित प्रोजेक्ट की अवधारणा से लेकर उत्पादन एवं आत्मनिर्भर होने तक इकाई को मदद पहुँचाई जायेगी। इसके एवज में उस इकाई में इनक्युबेशन सेन्टर को कुछ इक्विटी भागीदारी भी मिलेगी। इकाई के लाभ में आने पर इनक्युबेशन सेन्टर अपनी इक्विटी भागीदारी को निजी निवेशक अथवा प्रमोटर उद्यमी को बेच कर लाभ अर्जित कर सकते हैं।

– **उद्यमशीलता प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना** : देश में जिला स्तर पर उद्यमशीलता प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

– **उच्च शिक्षा के उपरान्त स्वरोजगार हेतु ब्याजरहित ऋण** : महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के तहत वैसे सभी छात्र, जो अपनी उच्च शिक्षा के उपरान्त अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हों उन्हें सरकार द्वारा दो करोड़ रुपये तक के प्रोजक्ट हेतु बिना किसी कोलैट्रल सिक्युरिटी के ब्याजरहित ऋण प्रदान करने का प्रबंध करें।

पेयजल एवं शौचालय

- **शुद्ध जल की आपूर्ति एवं शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित** : सभी गांव में शुद्ध जल की आपूर्ति एवं शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों में केन्द्रीय बजट के व्यय को बढ़ाया जाये।
- सभी राज्यों में दस्ती सफाई उन्मूलन जैसे कानून अनिवार्य रूप से लागू किये जायें। समूह शौचालयों का निर्माण वृहत स्तर पर किया जाये। सफाई कर्मचारियों को सम्मानित मानदेय प्रदान किया जाये एवं सेवाओं में उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाये।
- पंचायती राज संस्थानों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए ताकि वे जल, स्वच्छता एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को विस्तारित एवं समन्यवयित कर सकें।

बाल विकास

- **बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु बाल पंचायत तथा बाल निगरानी दल** : बाल विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान दिया जाए एवं बाल पंचायत तथा बाल निगरानी दल बना कर इस प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। बाल विशेष योजनाओं की इकाई लागत को बढ़ाने हेतु बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए जायें।
- बाल श्रम का पूर्णतः उन्मूलन करने के लिए जोखिमपूर्ण तथा जोखिम रहित कार्यों का अंतर समाप्त किया जाए।

मध्यम, लघु, सूक्ष्म एवं घरेलू उद्योग

- देश का मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग चायना एवं अन्य देशों से आयातित सस्ते उत्पादों के कारण कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। सरकार को छोटे उद्यमियों को राहत पहुंचाने के दृष्टिकोण से ऐसे उत्पाद जिन्हें देश में आसानी से बनाया जा सकता है, के आयात को कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर हतोत्साहित करना चाहिए। साथ ही घरेलू उद्योग बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला कर सके इस प्रयोजन हेतु उसे एक्साईज ड्यूटी में राहत देनी चाहिए।
- एक तरफ जहां देश में नित्य नये शॉपिंग मॉल एवं विदेशी रिटेल कंपनियों का बाजार सज रहा है, रिटेल में एफडीआई को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं घरेलू उद्योग एवं हस्त निर्मित उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाने के कारण छोटे उद्यम दम तोड़ रहे हैं। हस्तकरघा, कला, शिल्प एवं महिलाओं एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा संचालित घरेलू एवं लघु उद्योगों को बाजार से जोड़ने के लिए देश के सभी प्रमुख राज्यों में दिल्ली हाट, कला ग्राम एवं कोलकाता के 'स्वभूमि' की तर्ज पर एक स्वदेशी हाट का निर्माण कर वहाँ बुनकरों, शिल्पकारों, महिला उद्यमियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आदि को स्थान आवंटित किया जाना चाहिए। इन स्वदेशी बाजारों में आगन्तुकों को राज्यों की संस्कृति, गीत–संगीत, नाटक एवं लोक परम्पराओं से रूबरू कराया जायेगा। अतः ऐसे स्थल पर्यटन के रूप से भी महत्वपूर्ण होंगे।
- देश में ऐसी कई कलाएं हैं जो बाजार की कमी एवं वित्तीय कठिनाईयों के कारण दम तोड़ रही है ऐसे में सरकार को उन्हें सहायता पहुंचानी चाहिए एवं उन कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर नई पीढ़ी के कलाकारों को तैयार करना चाहिए।
- उद्यमिता विकास के आशय में खादी और कार्पेट के बुनकरों को हैंडलूम सेक्टर की तरह कर्ज माफी की योजनाओं के शामिल नहीं किया गया है। इस बजट में उनके लिए प्रावधान किए जायें।

पर्यावरण / जलवायु

पर्यावरण में बदलाव संबंधी मुद्दों से जुड़े कुछ कार्यक्रम सही दिशा में एक कदम हो सकते हैं. चुनौती यह है कि पर्यावरण भी लंबे समय तक ठीक रहे और उद्योग भी ऐसे मानकों के दायरे में चलें जिनसे विकास समान और संतुलित हो. पर्यावरण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच के वे मुद्दे जो अक्सर उद्योग की गाड़ी पटरी से उतार देते हैं, उनका हल अभी होना बाकी है. इस दिशा में स्पष्ट नीति का अभाव है. इससे न सिर्फ पर्यावरण और उन लोगों के अधिकारों पर खतरा है जो विकास के लिए अपनी जमीन देते हैं बल्कि यह उद्योग जगत को भी मोहभंग की स्थिति में ले जा रहा है.

- जलवायु निवेश निधि के अंतर्गत वैश्विक वित्त संस्थानों से आने वाली निधि यथा विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, अनुकूलन निधि, स्वच्छ विकास व्यवस्था इत्यादि का स्थानीय समुदाय के विकास हेतु उपयोग किया जाये एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेष संस्थागत व्यवस्था की जाए तथा बजट में इसके लिए प्रावधान किये जायें।
- **जैव इंधन यथा गोबर गैस एवं धान के भूसे से तैयार बिजली के उत्पादन को बढ़ावाः** जैव इंधन यथा गोबर गैस एवं धान के भूसे से तैयार बिजली के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलायी जाये एवं इसके निर्माण हेतु सब्सिडाईज दरों पर आधारभूत सुविधायें प्रदान की जायें। इस हेतु पंचायती राज्य संस्थानों को विशेष धनराशि प्रदान की जाए।
- ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरण योग्य स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन यंत्रों को सब्सिडाईज दरों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाये एवं इसके लिए बजट में राशि आवंटित की जाए।
- **जल विद्युतीय परियोजनाओं पर हरित कर** : पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी जल विद्युतीय परियोजनाएं लगती हैं। यह उचित होगा कि उन पर हरित कर लगाया जाए एवं प्राप्त कर का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए सुनिश्चित किया जाए।
- **गाड़ियों एवं मोटरसाईकिलों पर रोड टैक्स के साथ–साथ हरित कर** : वर्तमान में जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियों एवं मोटरसाईकिलों का दबाव बढ़ा है एवं जिस प्रकार से नए सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण हुआ है उससे पर्यावरण प्रभावित हुआ है। इस प्रकार गाड़ियों पर रोड टैक्स के साथ–साथ हरित कर भी लगाया जाए।
- **रियल स्टेट के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा** : रियल स्टेट के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाये एवं 'ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता' का पालन करने वाले रियल स्टेट डवलपर्स को करों में छूट दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

- **योजना राशि का 10 प्रतिशत यूनाईटेड फंड के रूप में पंचायती राज संस्थानों को** : केन्द्रीय बजट 2013–14 में योजना राशि का 10 प्रतिशत यूनाईटेड फंड के रूप में पंचायती राज संस्थानों को दिये जाने की व्यवस्था की जाये।
- केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या घटा कर उन्हें ग्रामीण विकास की योजनाओं के अधिक समीप लाया जाये।
- ग्रामीण योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एवं और प्रभावशाली बनाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के वित्तीय दिशा–निर्देशों को व्यवहारिक तौर पर लोचशील बनाया जाये साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचना निर्माण के लिए बजट में आवंटन को बढ़ाया जाये।
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वसहायता समूहों के गठन, निरीक्षण और प्रशिक्षण के संदर्भ में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए एवं जिम्मेदारी तय की जाए तथा इस हेतु इस बजट में राशि निर्गत की जाए।
- **कार्पोरेट समुदायों द्वारा ग्रामीण इलाके को गोद लेने पर टैक्स में छूट** : विभिन्न ग्रामीण इलाकों को बड़े कार्पोरेट समुदायों को गोद लेने को प्रोत्साहित किया जाए एवं उन्हें क्षेत्र विशेष में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र विशेष को विकसित करने का दायित्व अनिवार्य रूप से सौंपा जाये तथा इसके लिए उन्हें संबंधित कार्यों में टैक्स में छूट दी जाये।

वंचित वर्ग

अनुसूचित जाति सब प्लान (एससीएसपी) तंत्र और आदिवासियों के लिए ट्राईबल सब प्लान (टीएसपी) की सलाहकारी धाराओं को कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। इनसे संबंधित फंड का ऑडिट हो। फारेस्ट राइट्स एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत) एक्ट के तेज क्रियान्वयन के लिए विशेष आवंअन किया जाना चाहिए। आदिवासी इलाकों के स्कूलों और स्वास्थ्य ढांचा के विकास के लिए राज्यों को अधिक फंड दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष रूप से मुस्लिमों में उद्यमशीलता के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खादी और बुनकारों को भी ऋण राहत उपक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रमों में सुधार करके और वित्तीय स्रोत सुविधाएँ उपलब्ध कराके मजबूत बनाया जाना चाहिए।

- **अनु. जातियों को अनुपात के आधार पर आवंटन** : अनु. जाति उपयोजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ऐसा कानून बनाना अनिवार्य है जिसके माध्यम से कुल जनसंख्या में अनु. जातियों को अनुपात के आधार पर आवंटन प्रदान किया जा सके।
- **दलितों के विकास हेतु योजनओं में समरूपता** : दलितों के विकास की व्यापक रूप रेखा तैयार की जानी चाहिए एवं विभिन्न संबद्ध योजनाओं में समरूपता होनी चाहिए। इन योजनाओं में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता विकास एवं उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योजना निर्माण, लागूकरण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन समेत सभी स्तरों पर दलित समुदाय की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
- **नाबार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्रीय समाजिक विकास बैंक की स्थापना** : अनु. जाति समुदाय के लिए विशेष ऋण आवंटन की सुविधा हो एवं ऋण को सुलभ बनाने हेतु नाबार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्रीय समाजिक विकास बैंक की स्थापना की जाये।
- **जनजातीय क्षेत्रों में परम्परागत उपचार पद्धति के दवाखाने एवं अस्पतालों की स्थापनाः** जनजातीय क्षेत्रों में परम्परागत उपचार पद्धति के लिए दवाखाने एवं अस्पताल स्थापित करने हेतु पर्याप्त व्यय किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन भी किया जाये। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सा कर्मचारियों के लिए विशेष पारितोषिक की भी व्यवस्था हो।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनु. जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा का अंग बनाने पर जोर** : जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देते हुए राज्यों को विद्यालयीन आधारभूत संरचना विकास, शिक्षण–प्रशिक्षण सामग्री, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास और शिक्षकों के क्षमता निर्माण हेतु अधिक फंड दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मौजूदा इकाई लागत बढ़ाई जानी चाहिये। व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनुसूसचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा का अंग बनाया जाना चाहिये।
- **जनजातीय क्षेत्रों के रोजगार एवं कृषि के लिए पर्याप्त फंड** : जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आय–अर्जन और रोजगार की गतिविधियों, विशेषकर कृषि के लिये पर्याप्त फंड प्रदान किया जाना चाहिए।

विकलांगों हेतु

– **केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा संभव विभागों में एक विकलांगता इकाई की स्थापना** : केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में विकलांग व्यक्ति के लिए प्रदत प्राथमिकता अत्यंत दयनीय है। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा संभव विभागों में एक विकलांगता इकाई की स्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। साथ ही एक ऐसी विकलांगता नीति का विकास होना चाहिए जो बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों समेत सभी विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं से संबद्ध सेवाओं और योजनाओं हेतु प्रदत्त निधियों का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित कर सके।

– **विकलांग पेंशन राशि 2000 रुपये** : विकलांगता की पहचान, पात्रता निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, साथ ही विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक आधारभूत संरचना को सुगम बनाने, उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सहायक सामग्री प्रदान करने, नियमित शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु बजट में पर्याप्त प्रावधान किये जायें। विकलांगो को मिलने वाली वर्तमान पेंशन राशि को बढ़ा कर 2000 रुपये किये जाये।

असंगठित मजदूर

इस क्षेत्र के कामगारों के लिए स्थायी शरण और कार्यस्थलों पर बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह अंतरराज्यीय वर्कमैन एक्ट के प्रावधानों को भी लागू किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी कर्मियों, आशा, मिड डे मील वर्करों को समुचित वेतन–भत्ते दिए जाने चाहिए।

– **असंगठित कर्मचारियों की श्रेणी में मनरेगा, आशा एवं आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ–साथ घरेलू अवैतनिक महिला कर्मचारी भी शामिल** : असंगठित कर्मचारी देश की जनसंख्या के सुविधाहीन भाग का एक बड़ा हिस्सा है। इस संदर्भ में असंगठित कर्मचारियों की श्रेणी में मनरेगा, आशा एवं आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ–साथ घरेलू अवैतनिक महिला कर्मचारियों तथा असंगठित कर्मचारियों के परिवारों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है। इन कर्मचारियों के लिए मानक कार्यदशाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रणाली की स्थापना के लिए केन्द्रीय बजट के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

– **'असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम' में संशोधन** : असंगठित कर्मचारियों के समस्याओं के निदान के लिए 'असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम' में संशोधन किया जाये।

– **महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मे तय मजदूरी को बढ़ाते हुए मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत निर्धारण** : ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा तय मजदूरी को बढ़ाते हुए मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत निर्धारित किया जाये। इसके लिए आवश्यक राशि का प्रावधान बजट में किया जाये।

भूमि अधिग्रहण

हाल के वर्षों में भूमि अधिग्रहण के मामलों में हुए विरोध को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए नए नीति की घोषणा करे, बजट सत्र मे ही सरकार को भूमि अधिग्रहण विधेयक भी लाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट में इस दिशा में अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन (फायनांशियल इन्क्ल्युजन)

- **माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों को प्रोत्साहन** : वित्तीय समावेश के क्षेत्र में माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है ऐसे में इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए एवं छोटी माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों को मदद करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये की एक निधि बनानी चाहिए। इस निधि का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक करेगा। साथ ही माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर में अधिक ब्याज वसुली एवं गरीब परिवार पर बढ़ता ब्याज बोझ एवं वसूली करने की अव्यवहारिक प्रक्रिया को देखते हुए इस सेक्टर को नियमित करने की आवश्यकता है। ब्याज दर 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं प्रोसेसिंग शुल्क 1 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए। साथ ही एक ऋण प्राप्तकर्ता अधिकतम दो संस्थाओं से ही ऋण लेने का पात्र होना चाहिए ताकि अधिक कर्ज लेकर गरीब परिवार का कोई व्यक्ति ऋण के बोझ तले न दबे।
- **पोस्ट बैंक ऑफ इडिया की स्थापना** : पूरे देश में एक लाख 55 हजार पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमे से 24 हजार जिला कार्यालयों के माध्यम से जल्द से जल्द संपूर्ण बैंकिंग सुविधायें दी जा सकती हैं। वर्तमान में पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से देश में 26 करोड़ से अधिक छोटे बचत खातो का संचालन हो रहा है, जिनमे 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। पोस्ट बैंक न केवल ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए बैंकिंग सुविधा को सुलभ करायेंगे बल्कि ये माइक्रोइंशोरेंस एवं माइक्रो रेमिटेन्स की सेवा का संचालन भी करेंगे। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना के संचालन मे भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पोस्ट बैंक की स्थापना होने के बाद छोटे जमाकर्ताओं को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऋण लेने की सुविधा भी मिल पायेगी। अतः हम वित्त मंत्री से आग्रह करते हैं कि वे इस बजट के माध्यम से पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना की घोषणा करे।

यूनियन बजट में पारदर्शिता लाने हेतु कुछ सुझाव

- हम वित्त मंत्री से आग्रह करते हैं कि बजट एट ए ग्लांस दस्तावेज को आम आदमी सहजता के साथ समझ सके इसके लिए सरल भाषा में फैक्ट एवं फीगर को समझाते हुए एक्सप्लानेट्री नोट्स के साथ छापना चाहिए।
- केन्द्रीय योजनाओं की आलोचना इस आधार पर होती है कि उनमें विभिन्न राज्यों को होने वाले आवंटन का निर्धारण करने का अधिकार विभिन्न मंत्रालयों के पास होता है। बजट दस्तावेज में राज्यवार आवंटन की सूची नहीं होने के कारण वित्तमंत्री की प्राथमिकताओं का सही अंदाज लगा पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः राज्यवार आवंटन का ब्रेकअप अवश्य देना चाहिए।
- बजट में सभी मंत्रालयों के लिए एक जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, जो जेंडरबेस्ड बजटीय आवंटन के अनुपात के साथ–साथ उन उपायों की भी चर्चा करेगा जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उनके क्षेत्र में महिलाओं एवं लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने हेतु अपनाये जाने हैं।
- 2001–2 के बजट के बाद से सरकार ने विभिन्न उत्पादों एवं जिन्सों पर वसूले गये अप्रत्यक्ष कर की वस्तुवार जानकारी देना बंद कर दिया है। जिससे ये मालूम नहीं पड़ पाता है कि किस तरह की वस्तु अथवा सेवा पर कितना कस्टम ड्यूटी, एक्साईज ड्यूटी या सर्विस टैक्स वसूला गया है। अगर इस तरह की सूचना मिले तो अप्रत्यक्ष करो का समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना संभव हो पायेगा।
- सरकार को बजट में स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एरियर्स के तहत यह भी बताना चाहिए कि पिछले वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से कितने एरियर की वसूली हुई। कितने मामलो में सरकार को कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा और कितने मामलो में सरकार टैक्स वसूलने में अक्षम हुई।
- बजट दस्तावेज के साथ सरकार को विभिन्न योजनाओं, मंजूरियों एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) के तहत दिये गये टैक्स एक्जैम्पशन्स की वस्तुस्थिति एवं उपयोगिता को सिद्ध करता हुआ दस्तावेज भी जारी किया जाना चाहिए जिससे यह जानकारी मिल सके कि रियायत के तहत सरकार को राजस्व में कितने की हानि हुई और रियायत देने के कारण देश को कितना और किस तरह का लाभ हुआ।

और अंत मे हम यही कहना चाहेंगे की चुनाव एक साल दूर है जबकि आर्थिक संकट सर पर टंगा है। चिदंबरम तेज ग्रोथ की वापसी पर दांव लगाकर ही बाजी जीत सकते हैं। ग्रोथ को लेकर कांग्रेस ग्लानि में भर गई थी। जिसका नतीजा था कि लोकलुभावन स्कीमों से सजी इनक्लुसिव ग्रोथ का ईजाद हुआ जिससे बजट की लूट व घाटा निकला। यूपीए के पिछले बजट इस दर्शन की देन थे जो तेज आर्थिक विकास के दुश्मन साबित हुए। चिदंबरम को गलतियां सुधार कर ग्रोथ को बजट के केंद्र में लाना होगा। खोने के लिए जब कुछ न हो तो नई कोशिशें बहुत मूल्यवान हो जाती हैं। कांग्रेस की लोकप्रियता और अर्थव्यवस्था की हालत तकरीबन एक जैसी है इसलिए यह 1991 के बाद का सबसे कीमती बजट है। 30–35 पेज के इस भाषण से या तो संकट निकलेंगे या संभावनायें। यह हर हाल में आर या पार का बजट है। कल का बजट देश के लिए एक नया सुनहरा भविष्य लेकर आये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।